बी एण्ड आर
B AND R
Building Nation Since 1920

प्रबोधन

राजभाषा

ब्रिज एण्ड रुफ कम्पनी की अर्द्धवार्षिक राजभाषा गृह पत्रिका

वर्ष 2024-25, अंक-2, मार्च 2025

ब्रिज एण्ड रुफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड

BRIDGE AND ROOF COMPANY (INDIA) LIMITED

(भारत सरकार का एक उद्यम / A Government of india Enterprise)

इस कलात्मक पेंटिंग का निर्माण श्री सुमंत शेखर चंद्रा, वरिष्ठ परिचारक द्वारा किया गया है। श्रवण बाधा के बावजूद वे अपने कार्य के प्रति अत्यंत सजग, निष्ठावान, विनम्र एवं सौम्य स्वभाव के धनी हैं। चित्रकला उनके व्यक्तित्व की एक सशक्त अभिव्यक्ति है, जिसके माध्यम से वे अपने अवकाश के क्षणों में सौंदर्य, भावनात्मकता और सृजनशीलता का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत करते हैं। उनकी पेंटिंग्स न केवल सौंदर्यबोध को उद्वेलित करती हैं, बल्कि प्रेरणा का स्रोत भी बनती हैं।

अनुक्रमणिका

क्र	शीर्षक		पृष्ठ
1	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश		4
2	संपादकीय		5
3	भारत के संविधान में महिलाओं को दिये गए अधिकार	रिशिता चौधरी	6
4	स्त्री विमर्श : चुनौती, संघर्ष, उपलब्धि और संभावनाएं	संघमित्रा मित्रा	9
5	एक अनन्य शक्ति (काव्य)	पापिया घोष दस्तीदार	10
6	गाजा युद्ध में महिलाओं और बच्चों की स्थिति	पंपा हलदर	11
7	भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान	विशाल	13
8	आधुनिक भारत की निर्माणकर्ता : महिलाओं का योगदान	श्वेतांशु	15
9	महिला शिक्षा का महत्व	रमेश झा	17
10	चिकित्सा से INA तक : कैप्टन लक्ष्मी सहगल की क्रांतिकारी यात्रा	कुनाल बैद्य	18
11	ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण और विकास की राह	राहुल	21
12	महिला सशक्तिकरण	आशीष विश्वकर्मा	23
13	ब्रिज एण्ड रूफ द्वारा राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं	नम्रता मेहता	25
14	वी : वीगन : "संधारणीयता के लिए प्रथम मंत्र	जयश्री बंसल	27
15	सामाजिक चुनौतियाँ और प्रत्याशाएँ	खेमचंद माली	28
16	महाकुंभ : आस्था, शांति, और भारतीयता का संगम	शुभांगी प्रिया	29
17	अब भी रामू काका सब पे भारी हैं	तीर्थ रे	31
18	आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस : भविष्य की नई क्रांति	मोहन पंडित	34
19	हरित ऊर्जा : एक टिकाऊ भविष्य	सत्यवरपू श्री राम प्रशांत	35
20	विज्ञान के युग में समुद्र मंथन : एक पुनर्व्याख्या	सौरभ मुस्कान	38
21	समय प्रबंधन मनोविज्ञान : कार्य प्रदर्शन को अनुकूलित कैसे करें	डॉ. प्रियंका कुमारी	40
22	वर्ष 2024 में विभिन्न हिंदी पाठ्यक्रमों में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने वाले कर्मचारी		42
23	हिंदी के प्रयोग के लिए वार्षिक कार्यक्रम एवं लक्ष्य		43
24	राजभाषा प्रोत्साहन योजना		44
25	राजभाषा संबंधी प्रश्नोत्तरी		45
26	कार्यालयीन शब्द		46
27	प्रमुख टिप्पणियाँ/ आम प्रयोग के पदबंध / राजभाषा प्रतिज्ञा		47
28	हिंदी पखवाड़ा 2024 के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेता		48
29	श्री दीपक तंतुवाय, वरिष्ठ प्रबंधक (वाणिज्यिक-iii) द्वारा बनाई गई पेंटिंग		49
30	सेवानिवृत होने वाले कामचारी (अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 तक)		50
31	ब्रिज एण्ड रुफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड को नराकास (उपक्रम), कोलकाता द्वारा सम्मान		52
32	विविध गतिविधियाँ		53-55

पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं को सुनने हेतु पृष्ठ पर प्रदत्त क्यूआर कोड को मोबाइल से स्कैन करें अथवा स्पीकर चिह्न पर क्लिक करें।

प्रबोधन पत्रिका के इस अंक का आवरण पृष्ठ श्री श्वेतांशु, उप प्रबंधक (कॉर्पोरेट योजना) द्वारा डिज़ाइन किया गया है। उनकी रचनात्मक दृष्टि, सौंदर्यबोध और कलात्मक संयोजन ने आवरण को अत्यंत आकर्षक, विचारोत्तेजक एवं प्रभावशाली स्वरूप प्रदान किया है।

बी एण्ड आर
B AND R
Building Nation Since 1920

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय का संदेश

राजेश कुमार सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
ब्रिज एण्ड रुफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड

प्रिय साथियों,

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि कंपनी द्वारा राजभाषा गृह पत्रिका प्रबोधन का द्वितीय अंक विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया गया है, जिसमें महिलाओं के योगदान को केंद्रबिंदु में रखते हुए उनके विविध क्षेत्रों में योगदान को सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया गया है। यह विशेषांक नारी शक्ति को समर्पित एक प्रेरणादायक प्रयास है।

साथ ही, राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार एवं संवर्धन के प्रति हमारी दृढ़ प्रतिबद्धता के प्रतीकस्वरूप कंपनी की गृह पत्रिका प्रबोधन का यह द्वितीय अंक आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। अपने नवीन स्वरूप, उच्चस्तरीय सामग्री एवं विचारोत्तेजक विषयों के साथ यह पत्रिका हिन्दी भाषा की सृजनात्मक अभिव्यक्ति एवं प्रसार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

'प्रबोधन' केवल एक पत्रिका नहीं, बल्कि हमारी राजभाषा नीति के प्रभावी कार्यान्वयन का सशक्त माध्यम है। यह न केवल ज्ञान-विज्ञान, सामाजिक विषयों, कला-संस्कृति और साहित्य से संबंधित विषयवस्तु को समाहित कर रही है, बल्कि कम्पनी की कार्यशैली, परियोजनाओं, व्यापार और कर्मचारियों की हिन्दी में रुचि को भी प्रतिबिंबित कर रही है।

मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि राजभाषा हिन्दी का प्रयोग कम्पनी में निरंतर बढ़ रहा है। यह हम सभी के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है कि हमारी कम्पनी राजभाषा के क्षेत्र में एक विशिष्ट पहचान बना रही है। हमारी परियोजनाएँ आधुनिक तकनीक और नवीनतम प्रौद्योगिकी के साथ प्रगति कर रही हैं, और इसी नवाचार को ध्यान में रखते हुए, कार्यालयीन कार्यों में भी हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग किया जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न माध्यमों ने हिन्दी में कार्य करना और अधिक सुगम बना दिया है। अब कम्प्यूटर पर हिन्दी में टाइप करना सरल हो गया है, और डिजिटल शब्दावलियों तथा टूल्स के माध्यम से कार्य करना पहले से कहीं अधिक सहज हो गया है।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष जारी किए जाने वाले वार्षिक कार्यक्रम का पूर्ण रूप से अनुपालन हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। इसे सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने में आप सभी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से आग्रह करता हूँ कि वे राजभाषा हिन्दी में अधिक से अधिक कार्य करने का संकल्प लें और अपने कार्यस्थल पर हिन्दी के लिए अनुकूल एवं उत्साहवर्धक वातावरण का सृजन करें।

अंत में, मैं 'प्रबोधन' के इस विशेषांक के लिए सभी लेखकों एवं संपादक मंडल को उनके परिश्रम और समर्पण के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। आइए, हम सभी मिलकर राजभाषा हिन्दी को और अधिक सशक्त बनाएँ और इसे अपने कार्यों में प्राथमिकता दें।

शुभकामनाओं सहित,

राजेश कुमार सिंह

(राजेश कुमार सिंह)

प्रबंधकीय मंडल

प्रधान संरक्षक
श्री राजेश कुमार सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

संरक्षक
श्री रवि कुमार
निदेशक(परियोजना प्रबंधन)

संरक्षक
श्री नव रत्न गुप्ता
निदेशक (वित्त)

मार्गदर्शन
श्रीमती नम्रता मेहता
समूह महाप्रबंधक (कॉर्पोरेट सेवाएं)

प्रधान संपादक
श्री सौरभ मुस्कान
वरिष्ठ प्रबंधक(राजभाषा एवं मानव संसाधन)

संपादक मंडल

श्री द्वैपायन भट्टाचार्य
उप महाप्रबंधक(मानव संसाधन)

श्री रोहन खरे
वरिष्ठ प्रबंधक-I (कॉर्पोरेट योजना)

श्री नीलकान्त दास
उप प्रबंधक (राजभाषा)

संपादकीय

प्रिय पाठकों,

नए भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका का निर्वाहन करने वाली समाज को आकार और संस्कार देने में अद्वितीय योगदान दे रही नारीशक्ति को वंदन। कंपनी की राजभाषा गृह पत्रिका प्रबोधन के इस द्वितीय अंक के माध्यम से हम एक बार पुनः आपसे संवाद स्थापित करने का गौरव प्राप्त कर रहे हैं। यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि यह अंक महिला विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया गया है, जो समाज, परिवार एवं राष्ट्र निर्माण में महिलाओं के बहुमूल्य योगदान को रेखांकित करता है। यह विशेषांक नारी शक्ति के सम्मान एवं प्रेरणा का एक सशक्त माध्यम है।

यह पत्रिका न केवल राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार का एक सशक्त माध्यम है, बल्कि यह हमारे साहित्यिक, सांस्कृतिक और व्यावसायिक गतिविधियों का प्रतिबिंब भी है। हमें यह देखकर प्रसन्नता हो रही है कि हिन्दी के प्रति जागरूकता और उत्साह दिन-ब-दिन बढ़ रहा है, और इसी क्रम में 'प्रबोधन' भी अपने नए कलेवर और विचारों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत है।

इस अंक में हमने विभिन्न विषयों को समाहित करने का प्रयास किया है, ताकि यह पत्रिका केवल सूचना प्रदान करने का साधन न होकर ज्ञानवर्धन, प्रेरणा और सृजनात्मक अभिव्यक्ति का मंच भी बने। हमने न केवल हिन्दी भाषा और साहित्य से जुड़े विषयों को स्थान दिया है, बल्कि समसामयिक मुद्दों, तकनीकी नवाचारों और सामाजिक सरोकारों को भी इस अंक में प्रमुखता दी है।

हमारी कम्पनी निरंतर विकास और प्रगति की ओर अग्रसर है, और इस यात्रा में हिन्दी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कार्यालयीन कार्यों में हिन्दी का बढ़ता प्रयोग और सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से हिन्दी के प्रति बढ़ती रुचि, यह दर्शाती है कि हिन्दी अब केवल एक भाषा नहीं, बल्कि कार्यकुशलता और सशक्त संप्रेषण का माध्यम बन चुकी है। 'प्रबोधन' भी इसी सोच को आगे बढ़ाने का एक प्रयास है।

हम आपके बहुमूल्य सुझावों और सहयोग के लिए सदैव आभारी हैं। पिछले अंक को जिस आत्मीयता से आपने सराहा, वह हमारे लिए अत्यंत प्रेरणादायक रहा। इस अंक में भी हमने कुछ नवीन प्रयोग किए हैं, जो आपको रुचिकर लगेंगे। हम आशा करते हैं कि 'प्रबोधन' का यह अंक भी आपके मन-मस्तिष्क को समृद्ध करेगा और हिन्दी के प्रति आपके अनुराग को और अधिक सुदृढ़ बनाएगा।

हम सभी का दायित्व है कि राजभाषा हिन्दी को न केवल अपने कार्यों में बल्कि अपने विचारों और अभिव्यक्तियों में भी स्थान दें। आइए, हम सभी मिलकर हिन्दी को और अधिक प्रभावी तथा उपयोगी बनाने के संकल्प को साकार करें।

आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी।

सादर,

अस्वीकरण : 'प्रबोधन' में प्रकाशित रचनाएं रचनाकारों के व्यक्तिगत भावनाएं एवं विचार हैं। कम्पनी अथवा संपादक मंडल का उससे सहमत होना आवश्यक नहीं है। रचनाकारों द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, यह माना जाता है कि यह उनकी स्वलिखित मौलिक रचनाएं हैं एवं कहीं और प्रकाशित नहीं हुईं हैं। ये रचनाएं किसी अन्य श्रोत से प्राप्त या कॉपी नहीं की गई हैं एवं किसी भी कॉपीराइट उल्लंघन के मामलों के लिए सरकार, विभाग, कम्पनी अथवा संपादक मंडल उत्तरदाई नहीं है। निः शुल्क वितरण हेतु।

भारत के संविधान में महिलाओं को दिए गए अधिकार

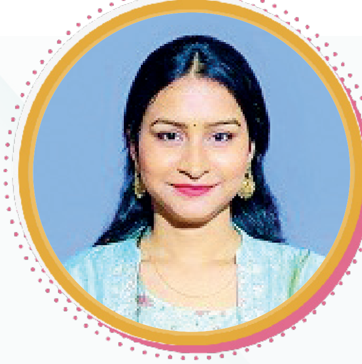

रिशिता चौधरी
उप प्रबंधक (वाणिज्यिक)

मैं समाज की प्रगति को इस बात से मापता हूँ कि महिलाओं ने कितनी प्रगति की है।

यह टिप्पणी हमारे संविधान के जनक डॉ. बी. आर. अंबेडकर द्वारा की गई थी, जो महिलाओं के अधिकारों के महत्व पर जोर देती है।

1. सामाजिक अधिकार: अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है, अर्थात राज्य में कोई भी व्यक्ति कानून के समक्ष समानता और कानून की समान सुरक्षा से वंचित नहीं होगा। इस प्रकार, भारतीय समाज में महिलाओं को वही सुरक्षा और व्यवहार प्राप्त है जो पुरुषों को संविधान द्वारा सुनिश्चित है।

अनुच्छेद 15 महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार के भेदभाव पर रोक लगाता है, जब यह अनुच्छेद 15(1) में घोषित करता है कि "राज्य केवल धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा।"

अनुच्छेद 15(3) यह प्रदान करता है कि "इस धारा में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने से रोके।"

अनुच्छेद 16 सार्वजनिक नौकरी के मामलों में समान अवसर सुनिश्चित करता है, क्योंकि अनुच्छेद 16 (1) यह घोषित करता है कि "राज्य के तहत किसी भी पद के लिए नियुक्ति या रोजगार से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर होंगे।"

संविधान के अनुच्छेद 16(4) किसी भी पिछड़ी जाति के नागरिकों के लिए नियुक्तियों या पदों में आरक्षण का प्रावधान करती है, और इसके उद्देश्य को न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी ने सुंदर तरीके से व्यक्त किया जब उन्होंने कहा: "संक्षेप में, अनुच्छेद 16(4) का उद्देश्य पिछड़ी जातियों को सशक्त बनाना है, ताकि उन्हें प्रशासनिक तंत्र और समुदाय के शासन में भागीदार बनाया जा सके।"

अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों, पुरुष और महिला, को "व्यक्तित्व और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार" प्रदान करता है। इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी सामान्य मुद्दे पर अपनी राय बनाने का मौलिक अधिकार है।

अनुच्छेद 21 संविधान के तहत प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो या महिला, के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है, और यह कहता है कि "कोई भी व्यक्ति अपने जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा, सिवाय उस प्रक्रिया के जो कानून द्वारा निर्धारित हो।" जीवन का अधिकार सभी मानव अधिकारों में से सबसे मूल्यवान मौलिक अधिकार माना जाता है। इस अनुच्छेद के तहत "जीवन" शब्द का अर्थ केवल पशु जैसे अस्तित्व या जीवन के दौरान निरंतर श्रम से नहीं है। इसका बहुत व्यापक अर्थ है। इसी तरह, सर्वोच्च न्यायालय ने "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" शब्द को बहुत व्यापक रूप से परिभाषित किया, जो इसी अनुच्छेद में मेनका गांधी के मामले में आया था।

संविधान के अनुच्छेद 23 विशेष रूप से मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाती है। इस संदर्भ में, मानव तस्करी में "देवदासी

प्रथा" भी शामिल है (विशाल जीत बनाम भारत संघ, AIR 1990 SC 1412)। भारत में मानव तस्करी लंबे समय से प्रचलित रही है, जो वेश्यावृत्ति और मनुष्यों को एक मूल्य पर बेचना और खरीदने के रूप में होती रही है, जैसे सब्जियाँ या अन्य वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं।

संविधान के अनुच्छेद 23(1) के आधार पर, विधायिका ने अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (अब जिसे अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के रूप में जाना जाता है) पारित किया है जिसका उद्देश्य वेश्यावृत्ति और अन्य प्रकार की मानव तस्करी की प्रथा को समाप्त करना है। यह अधिनियम न्यूयॉर्क में 9 मई, 1950 को हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अनुसरण में बनाया गया था, जिसका उद्देश्य अनैतिक व्यापार को रोकना था।

आंध्र प्रदेश विधानमंडल ने देवदासियों (समर्पण निषेध) अधिनियम, 1988 को पारित किया है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को हिंदू देवताओं, मूर्तियों, मंदिरों आदि के प्रति देवदासी के रूप में समर्पित करने की प्रथा को प्रतिबंधित करना है, जो अक्सर वेश्यावृत्ति जैसी बुराइयों को जन्म देती है।

अनुच्छेद 44 राज्य को निर्देश देता है कि वह भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करे। यह विशेष लक्ष्य लिंग न्याय की प्राप्ति की दिशा में है। न्यायपालिका ने विवाह, उत्तराधिकार, गोद लेने और भरण-पोषण जैसे नागरिक कानूनों के आवेदन में समानता की आवश्यकता को माना है, जैसे कि साला मुग़ल बनाम भारत संघ और अन्य मामलों में। हाल ही में, उत्तराखंड ने राज्य में सभी के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू की है, सिवाय आदिवासियों के।

2. आर्थिक अधिकार: "पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ" मामले में, AIR 1982 SC 1473 में यह माना गया कि यदि श्रमिकों से न्यूनतम वेतन से कम पर श्रम और सेवाएं ली जाती हैं, तो इसे जबरन श्रम माना जाएगा और यह अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है।

अनुच्छेद 39(a) कहता है कि "नागरिकों, पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से, पर्याप्त जीवनयापन के साधन का अधिकार है।"

अनुच्छेद 39(d) में कहा गया है कि "पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा।" उत्तराखंड महिला कल्याण परिषद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में यह निर्णय दिया गया कि महिला शिक्षिकाओं को उसी संस्थान के पुरुष शिक्षकों के समान वेतन दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, राज्य ने समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 को लागू किया है ताकि इन निर्देशात्मक सिद्धांतों को प्रभावी बनाया जा सके।

अनुच्छेद 39 (e) विशेष रूप से राज्य को निर्देश देता है कि वह श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं की स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग न करे। यही कारण है कि संविधान राज्य पर यह दायित्व डालता है कि वह सुनिश्चित करे कि श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं की स्वास्थ्य और शक्ति, और बच्चों की नाबालिग अवस्था का दुरुपयोग न हो, और नागरिकों को आर्थिक आवश्यकता के कारण ऐसी नौकरी में न धकेला जाए जो उनकी आयु या शक्ति के अनुरूप न हो।

संविधान का अनुच्छेद 42 महिलाओं के लाभ के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल करता है। यह राज्य को निर्देश देता है कि वह कामकाजी परिस्थितियों को उचित और मानवाधिकारों के अनुरूप बनाने और मातृत्व लाभ के लिए प्रावधान करे। राज्य ने इस निर्देश को लागू करने की कोशिश मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 बनाकर की है।

3. राजनीतिक अधिकार: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन (1905-08) से शुरू हुआ, इसमें महिलाओं की प्रभावशाली भागीदारी देखी गई। महिलाओं ने राजनीतिक प्रदर्शन आयोजित किए, संसाधनों को संगठित किया, और उन आंदोलनों में नेतृत्व की भूमिकाएं भी निभाईं।

भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, इसके संविधान ने सभी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान दर्जा सुनिश्चित किया। संविधान का भाग III, पुरुषों और महिलाओं के मौलिक अधिकारों कों सुनिश्चित करता है। राज्य नीति के निर्देशात्मक सिद्धांत

आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करते हैं, जैसे समान काम के लिए समान वेतन, मानवाधिकारों के अनुरूप कामकाजी परिस्थितियां, और मातृत्व लाभ।

कोई भी भारतीय नागरिक जो मतदाता के रूप में पंजीकृत है और जिसकी आयु 25 वर्ष से अधिक है, वह लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के चुनावों में हिस्सा ले सकता है। उच्च सदन (राज्यसभा) के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। संविधान के अनुच्छेद 325 और 326 राजनीतिक समानता और वोट देने का अधिकार सुनिश्चित करते हैं।

संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए संसद और विधानमंडलों में सीटों के आरक्षण के प्रावधान हैं। इसके बाद, 1992 में, संविधान में 73वें और 74वें संशोधनों ने पंचायत राज संस्थाओं (PRIS) और नगरपालिका निकायों में महिलाओं के लिए कुल सीटों का एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया। इस संशोधन का उद्देश्य जमीनी स्तर पर निर्णय-निर्माण में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना था।

महिलाओं के लिए संसद और राज्य विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण को लागू करने का प्रस्ताव पहली बार 1997 में सामने आया, लेकिन इसका कड़ा विरोध हुआ। हाल ही में, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 का पास होना एक मील का पत्थर हासिल किया है, जो लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों का एक तिहाई आरक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखता है।

4. अन्य अधिकार: संविधानिक निर्देशों को लागू करने के लिए, राज्य ने विभिन्न विधायी उपायों को पारित किया है जो समान अधिकार सुनिश्चित करने, सामाजिक भेदभाव और विभिन्न प्रकार की हिंसा और अत्याचारों का मुकाबला करने, और विशेष रूप से कार्यरत महिलाओं को समर्थन सेवाएं प्रदान करने का उद्देश्य रखते हैं।

हालाँकि महिलाएँ "हत्या", "डकैती", "धोखाधड़ी" जैसी किसी भी अपराध की शिकार हो सकती हैं, फिर भी वे अपराध जो विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ होते हैं, उन्हें "महिला विरोधी अपराध" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इन्हें सामान्यतः दो श्रेणियों में बाँटा गया है।

भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत पहचाने गए अपराध:

1. बलात्कार (धारा 376 IPC)
2. अपहरण और बलात्कार के विभिन्न उद्देश्यों के लिए अपहरण (धारा 363-373)
3. दहेज के लिए हत्या, दहेज मृत्यु या उनके प्रयास (धारा 302/304-B IPC)
4. यातना, मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की (धारा 498-A IPC)
5. उत्पीड़न (धारा 354 IPC)
6. यौन उत्पीड़न (धारा 509 IPC)
7. लड़कियों का आयात (21 वर्ष तक की आयु)

ऊपर के प्रावधानों के साथ, अनुच्छेद 51 (a) कर्तव्यों से संबंधित है और इसका उपबंध (e) विशेष रूप से महिलाओं से संबंधित है, जिसमें कहा गया है: "यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह भारत के सभी लोगों के बीच सद्भावना और समान भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा दे, जो धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय और वर्गीय विविधताओं से ऊपर हो, और महिलाओं की गरिमा के खिलाफ प्रथाओं का परित्याग करे।"

पिछले कुछ वर्षों में भारत, "महिलाओं के विकास" से "महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास" की ओर तेज़ी से संक्रमण देख रहा है, जिसका उद्देश्य एक नए भारत की स्थापना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, सरकार ने महिलाओं से जुड़े मुद्दों को जीवनचक्र के आधार पर हल करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण को शामिल किया गया है, ताकि महिलाएं तेज़ी से और स्थिर राष्ट्रीय विकास में समान साझेदार बन सकें।

स्त्री विमर्श : चुनौती, संघर्ष, उपलब्धि और संभावनाएं

संघमित्रा मित्रा
उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन)-II

स्त्री विमर्श आधी आबादी के संघर्ष और उत्थान का विमर्श है। पश्चिमी देश और भारत के इसी समानता के सिद्धांत के तहत स्त्री के हक और स्त्री प्रश्न के मुद्दों पर चर्चा शुरू हुई। स्त्री पुरुष के समान अधिकार की मांग और पुरुषसत्तात्मक समाज द्वारा स्त्रियों पर थोपी गई रूढ़ियों और अंधविश्वासों का विरोध भी स्त्री आंदोलन के विषय बने। आज का युग परिवर्तन और पुनर्गठन का युग है, जहाँ पारंपरिक मूल्यों के साथ-साथ चेतना की नई लहरें उभर रही हैं। इस संदर्भ में, नारीवादी विमर्श एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय बन जाता है। यह विमर्श नारी के अधिकारों, समानता के आग्रह से आगे बढ़कर उसके संघर्ष, त्याग, चुनौतियों और उपलब्धियों की जीवंत कथा कहता है।

जीवन-संघर्ष : "संघर्ष वह दीप है, जो अंधकार में भी रोशनी फैलाता है।" भारतीय समाज में स्त्री की स्थिति सदैव जटिल रही है।

वैदिक युग में स्त्रियों को शिक्षा, यज्ञोपवीत संस्कार और समाज में समान अधिकार प्राप्त थे। परंतु मध्यकाल में परिस्थितियाँ बदलीं। सामाजिक बंधनों ने स्त्रियों की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया। शिक्षा, संपत्ति और निर्णय लेने के अधिकार उनसे छीन लिए गए।फिर भी, नारी ने हार नहीं मानी। झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, अरुणा आसफ़ अली, कस्तूरबा गांधी जैसी महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम की अग्निपरीक्षा में अपने अदम्य साहस का परिचय दिया।

वे इतिहास में केवल नाम नहीं, संघर्ष की जीवंत गाथाएँ हैं।

त्याग की रीति :"स्त्री का त्याग उसकी कमजोरी नहीं, उसकी सबसे बड़ी शक्ति है।" नारी जीवन की परिभाषा में त्याग अनिवार्य रूप से समाया हुआ है।

बचपन से ही एक बेटी के रूप में, विवाह के बाद पत्नी के रूप में, और माँ के रूप में वह निरंतर त्याग करती आई है—अपने सपनों, आकांक्षाओं और इच्छाओं का।

परंतु इस त्याग को केवल सहनशीलता समझना भूल होगी। यह त्याग स्त्री की आंतरिक शक्ति, उसके धैर्य और उसकी संवेदनशीलता का परिचायक है।

आज की नारी जब घर, परिवार और करियर के बीच संतुलन साधती है, तब वह त्याग नहीं करती—वह एक नई दुनिया रचती है।

मुश्किलों से पार पाने वाली महिला :

"चुनौतियाँ उसे तोड़ती नहीं, निखारती हैं।"

आज, तकनीक और वैश्वीकरण के युग में भी नारी के समक्ष अनेक चुनौतियाँ विद्यमान हैं।

कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव, घर की दोहरी जिम्मेदारियाँ, सामाजिक दबाव, असुरक्षा की भावना और अवसरों की असमानता उसकी राह में अवरोध हैं।

लेकिन आज की नारी हार मानने वाली नहीं। वह शिक्षा, विज्ञान, प्रशासन, रक्षा, उद्यमिता, और राजनीति जैसे क्षेत्रों में नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं।

वह समाज से अपने हिस्से का अधिकार भी मांग रही हैं और उसे अर्जित भी कर रही हैं।

नवीन उपलब्धि का अध्याय :

"आकाश की ऊंचाइयाँ भी आज उसकी उड़ान रोक नहीं पातीं।"

कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में उड़ान भरकर नारी शक्ति का लोहा मनवाया।

भारतीय सेना में महिलाएँ आज युद्धक टुकड़ियों का नेतृत्व कर रही हैं।

ग्रामीण भारत की महिलाएँ भी परिवर्तन की सूत्रधार बन रही हैं। स्व-सहायता समूहों के माध्यम से वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनी हैं और सामाजिक बदलाव की दिशा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

नारी की यह उपलब्धियाँ केवल व्यक्तिगत विजय नहीं हैं, वे पूरे समाज के उत्थान का परिचायक हैं।

भविष्य की ओर

स्त्री विमर्श आज केवल नारीवाद तक सीमित नहीं है, यह एक समग्र सामाजिक चेतना का विषय बन चुका है। जब तक समाज में स्त्री और पुरुष को समान अवसर, सम्मान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, तब तक समावेशी विकास की कल्पना अधूरी रहेगी।

हमें यह स्वीकार करना होगा कि नारी सशक्तिकरण केवल एक सरकारी अभियान नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक पुनरुत्थान है। स्त्रियों को केवल सुरक्षा या सहानुभूति नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सम्मान, अवसर और स्वतंत्रता।

अतः स्त्री विमर्श हमें यह विचार करने के लिए प्रेरित करता है कि स्त्री केवल एक संबंध या भूमिका तक सीमित नहीं है, बल्कि वह स्वयं में एक स्वतंत्र, संप्रभु सत्ता है। वह सृजन की आधारशिला, संबल की प्रतीक, संस्कारों की धारक और सामाजिक परिवर्तन की अग्रदूत है। आज की स्त्री न केवल अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है, बल्कि वह भावी पीढ़ियों के लिए एक सशक्त और समानता आधारित समाज की नींव भी रख रही है। उसका अस्तित्व प्रेरणा, आत्मबल और नवचेतना का स्रोत बन चुका है, जिसे पहचानना आवश्यक है।

समाज की प्रगति, उसकी समरसता और स्थायित्व तब ही संभव है जब स्त्री को समान भागीदारी मिले और उसके संघर्षों को केवल "कहानी" नहीं, एक संवेदना और सम्मान के रूप में देखा जाए। स्त्री विमर्श, इसलिए केवल एक विमर्श नहीं—बल्कि एक चेतना है, जिसे हर मन में स्थान मिलना चाहिए।

एक अनन्य शक्ति

पापिया घोष दस्तीदार
वरिष्ठ ईआरपी सहायक

माँ एक शक्ति है
जो ब्रह्मांड का निर्माण करती है;
माँ एक आवश्यकता है
जिसके बिना पूरी दुनिया अधूरी है;
माँ एक एहसास है
जो सही होना सिखाती है;
माँ एक चहक है
जो खुशियाँ प्रदान करती है;
माँ एक प्रेरणा है
जो स्वप्न को साकार करने की ताकत देती है;
माँ एक भरोसा है
जो हौसला बढ़ाने का सबसे बड़ा मंत्र है;
माँ एक योद्धा है
जो जिंदगी की जंग लड़वाना सिखाती है;
माँ एक समझ है
जिससे ज्ञान का द्वार खुलता है;
माँ एक काल चक्र है
जिसमें शुरू से अंत तक फेरे लेना पड़ता है;
एक माँ वह है
जो अनंत शक्ति का आधार है;
माँ एक शक्ति है।

गाजा युद्ध में महिलाओं और बच्चों की स्थिति

पंपा हलदर
सहायक महाप्रबंधक (विपणन) सिविल उत्तर

गाजा में जारी युद्ध ने महिलाओं और बच्चों पर अत्यधिक प्रभाव डाला है। वे न केवल हताहतों की सूची में शामिल हैं बल्कि विस्थापन, भूख, शिक्षा की कमी और स्वास्थ्य सुविधाओं की अनुपलब्धता जैसी चुनौतियों का भी सामना कर रहे हैं। यह लेख महिलाओं और बच्चों की वर्तमान स्थिति का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

1. महिलाओं और बच्चों की हताहत संख्या और विस्थापन

गाजा में युद्ध के कारण हजारों महिलाओं और बच्चों की मौत हो चुकी है। अब तक लगभग 50,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं।

लगातार हवाई हमलों और हमलों के कारण लाखों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। रफ़ा के तेल अल-सुल्तान इलाके में हजारों लोग फंसे हुए हैं, जहां चारों ओर से घेराबंदी कर दी गई है। इससे लोगों के लिए भोजन और दवा तक पहुंच मुश्किल हो गई है।

2. स्वास्थ्य और पोषण संकट : युद्ध के चलते गाजा

में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। चिकित्सा सुविधाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं, और केवल 35 में से 22 प्रमुख अस्पताल काम कर रहे हैं।

इसके अलावा, आवश्यक आपूर्ति पर प्रतिबंध के कारण गंभीर कुपोषण की समस्या उत्पन्न हो गई है। बच्चों को उचित पोषण न मिलने के कारण उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

3. शिक्षा व्यवस्था पर प्रभाव : गाजा में 93% स्कूल या तो पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं। इसके चलते लगभग 6.25 लाख छात्रों की शिक्षा ठप हो गई है।

शिक्षा की कमी के कारण बच्चों को मानसिक तनाव और

असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा, लड़कियों के लिए जोखिम और बढ़ गया है, क्योंकि शिक्षा की अनुपलब्धता से बाल विवाह और शोषण की घटनाओं में वृद्धि हो रही है।

4. लिंग आधारित हिंसा और महिलाओं की सुरक्षा : संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने रिपोर्ट दी है कि इस संघर्ष में महिलाओं और बच्चों को विशेष रूप से निशाना बनाया गया है। आरोप हैं कि कुछ क्षेत्रों में महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के मामले भी सामने आए हैं।

इसके अलावा, प्रजनन स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण महिलाओं के लिए हालात और खराब हो गए हैं। गर्भवती महिलाओं को प्रसव के दौरान गंभीर जटिलताओं का सामना करना पड़ रहा है।

5. अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया और मानवीय सहायता की आवश्यकता : संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठन लगातार इस स्थिति पर ध्यान दे रहे हैं और संघर्ष विराम की मांग कर रहे हैं। मानवीय सहायता की तत्काल आवश्यकता है, जिसमें भोजन, दवा और स्वच्छ पानी की आपूर्ति प्रमुख हैं।

6. निष्कर्ष : गाजा में महिलाओं और बच्चों की स्थिति बेहद दयनीय है। युद्ध के कारण उनका जीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों की कमी के कारण वे सबसे ज्यादा पीड़ित हो रहे हैं। कई परिवार अपने प्रियजनों को खो चुके हैं और विस्थापन के कारण अनिश्चित भविष्य का सामना कर रहे हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण महिलाओं को प्रसव के दौरान घातक जटिलताओं का सामना करना पड़ रहा है, और नवजात शिशुओं के लिए भी स्थिति विकट होती जा रही है। बच्चों का मानसिक विकास भी बाधित हो रहा है, क्योंकि वे भोजन, आवास, शिक्षा और खेलकूद जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो गए हैं। इसके अलावा, लड़कियों को विशेष रूप से जोखिम उठाना पड़ रहा है, क्योंकि युद्धकालीन परिस्थितियों में उनके खिलाफ हिंसा और शोषण की घटनाएं बढ़ जाती हैं।

इस संकट से निपटने के लिए वैश्विक समुदाय को तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है। सभी देशों को मिलकर मानवीय सहायता को प्राथमिकता देनी चाहिए और गाजा के लोगों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए ठोस प्रयास करने चाहिए। इसके साथ ही, दीर्घकालिक समाधान निकालने के लिए संघर्ष विराम और शांति वार्ताओं को बढ़ावा देना बेहद जरूरी है, ताकि गाजा के मासूम नागरिकों को एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन मिल सके।

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान

विशाल
प्रबंधक (आंतरिक लेखापरीक्षा)

"साहस, संघर्ष और बलिदान, नारी ने लिखा स्वाधीनता का विधान!"

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने न केवल अद्वितीय शौर्य, पराक्रम एवं आत्म बलिदान का परिचय दिया, बल्कि राष्ट्रीय चेतना को भी अभूतपूर्व गति प्रदान की। वे संघर्ष की अग्रिम पंक्तियों में निडरता से खड़ी रहीं और अपने अदम्य साहस से ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। भारत का स्वतंत्रता संग्राम, एक ऐसा अध्याय है जो साहस, बलिदान और देशभक्ति की अनगिनत कहानियों से भरा हुआ है। इस गौरवशाली गाथा में, पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं ने भी कंधे से कंधा मिलाकर देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न चरणों में महिलाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया,उनके योगदान ने भारतीय समाज में नारी सशक्तिकरण की नींव डाली तथा स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा प्रदान की। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान केवल ब्रिटिश शासन को समाप्त करने तक सीमित नहीं था, बल्कि भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को भी सशक्त बनाया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि नारी शक्ति केवल घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्र के उत्थान में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में विभिन्न रूपों में योगदान दिया, महिलाओं का योगदान अद्वितीय और बहुआयामी था। कुछ महिलाओं ने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया, तो कुछ ने सामाजिक सुधार के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का प्रयास किया। दुर्गाबाई देशमुख, उषा मेहता, कल्पना दत्त जैसी महिलाओं ने क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाई। कई महिलाओं को जेल जाना पड़ा, कईयों को लाठियों और गोलियों का सामना करना पड़ा, और कई महिलाओं ने अपने प्राणों की आहुति भी दी। महिलाओं ने न केवल पुरुषों के साथ मिलकर जुलूसों, प्रदर्शनों और धरनों में भाग लिया, बल्कि उन्होंने गुप्त समितियों का गठन किया, क्रांतिकारियों को आश्रय दिया और घायल सैनिकों की सेवा की। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार और खादी के उपयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे बढ़कर, उन्होंने अपने अटूट साहस, दृढ़ संकल्प और देशभक्ति के जज्बे से पूरे देश को प्रेरित किया। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं ने अपने नेतृत्व और संगठन कौशल का भी भरपूर प्रदर्शन किया। उन्होंने महिला संगठनों की स्थापना की, रैलियों और प्रदर्शनों का आयोजन किया, और राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम संग्राम माना जाता है। इस संग्राम में झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दृढ़ निश्चय एवं पराक्रम से अंग्रेज़ी सेना के दाँत खट्टे कर दिए, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा लिया और अपनी अद्भुत रणकौशल और

नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। उन्होंने कहा था, "मैं अपनी झाँसी नहीं दूँगी," और अंतिम क्षण तक संघर्षरत रहीं। रानी लक्ष्मीबाई का नाम भारतीय इतिहास में वीरता और बलिदान का पर्याय बन गया है। मैडम भीकाजी कामा एक पारसी महिला थीं, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने विदेश में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रचार किया और भारत के लिए समर्थन जुटाने का काम किया। भीकाजी कामा ने 1907 में जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भारतीय तिरंगे को फहराया और स्वतंत्रता की घोषणा की। भारत कोकिला' के नाम से प्रसिद्ध सरोजिनी नायडू एक महान कवयित्री और स्वतंत्रता सेनानी थीं। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सक्रिय भूमिका निभाई और महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाई और समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष किया। अरुणा आसफ अली एक साहसी और निडर स्वतंत्रता सेनानी थीं। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर इतिहास रच दिया। उन्होंने महिलाओं को राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर जागरूक करने के लिए महत्वपूर्ण काम किया। लक्ष्मी सहगल एक डॉक्टर और स्वतंत्रता सेनानी थीं। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर आजाद हिंद फौज में महिलाओं की रेजिमेंट का नेतृत्व किया। उन्होंने महिलाओं को सैन्य प्रशिक्षण दिया और उन्हें देश की रक्षा के लिए तैयार किया। मातंगिनी हाजरा ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपनी जान की परवाह किए बिना तिरंगा फहराया। उन्होंने अंग्रेजों की गोलियों का सामना किया और देश के लिए शहीद हो गईं।

महात्मा गांधी के आगमन ने स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा प्रदान की। उन्होंने महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी के आह्वान पर, बड़ी संख्या में महिलाएं घर से बाहर निकलीं और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुईं। कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू, अरुणा आसफ अली, विजयलक्ष्मी पंडित जैसी महिलाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विजयलक्ष्मी पंडित स्वतंत्रता संग्राम के साथ-साथ स्वतंत्र भारत की कूटनीति में भी सक्रिय रहीं। दक्षिण भारत में रुक्मिणी लक्ष्मीपति स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख महिला सेनानी थीं। असम में कनकलता बरुआ ने भारतीय ध्वज लेकर आंदोलन का नेतृत्व किया और अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो महिलाओं के साहस, बलिदान और देशभक्ति की गाथाओं को बयां करते हैं।

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान अतुलनीय और प्रेरणास्पद है, स्वतंत्रता संग्राम महिलाओं के योगदान के बिना अधूरा रहता। उन्होंने अपने साहस, बलिदान और संघर्ष से स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने न केवल राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, बल्कि समाज में व्याप्त रूढ़ियों और बंधनों को तोड़ने का भी प्रयास किया। स्वतंत्र भारत में नारी शक्ति का उत्थान इसी संघर्ष की प्रेरणा से संभव हुआ।

महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम के साथ-साथ समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ भी आवाज उठाई। उन्होंने बाल विवाह, पर्दा प्रथा, जातिवाद और अस्पृश्यता जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संघर्ष किया। इस प्रकार, महिलाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक व्यापक सामाजिक सुधार आंदोलन का रूप दिया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी महिलाओं ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति, समाज सेवा और विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दिया। उन्होंने देश के विकास में सक्रिय रूप से भाग लिया और समाज को एक नई दिशा प्रदान की। आज महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं और देश को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान न केवल ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह आज भी हमारे लिए एक प्रेरणा है। इन महिलाओं ने हमें सिखाया कि साहस, दृढ़ संकल्प और देशभक्ति के बल पर किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। यह आवश्यक है कि हम उनके योगदान को सदैव स्मरण करें और उन्हें उचित सम्मान दें। इसलिए हमें नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महिलाओं को समान अवसर और अधिकार प्राप्त हों।

"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।"

आधुनिक भारत की निर्माणकर्ता : महिलाओं का योगदान

श्वेतांशु
उप प्रबंधक (कॉर्पोरेट योजना)

भारत का इतिहास केवल पुरुषों के संघर्ष और उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका भी रही है। भारतीय महिलाओं ने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अभूतपूर्व योगदान दिया है। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज के आधुनिक भारत के निर्माण तक, महिलाओं ने अपनी प्रतिबद्धता और संघर्ष से राष्ट्र की दिशा को बदलने का कार्य किया है।

स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका

भारत की स्वतंत्रता के लिए हुए संघर्ष में महिलाओं का योगदान अमूल्य रहा है। 1857 की क्रांति से लेकर 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति तक महिलाओं ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। कुछ प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान इस प्रकार हैं:

- **रानी लक्ष्मीबाई (1835-1858):** झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ वीरतापूर्वक युद्ध लड़ा। उनका नारा "मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी" आज भी प्रेरणा का स्रोत है।
- **सरोजिनी नायडू (1879-1949):** भारत की 'नाइटिंगेल' कही जाने वाली सरोजिनी नायडू स्वतंत्रता संग्राम में गांधीजी के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी रहीं और स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल बनीं।

प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी

स्वतंत्रता के बाद भारतीय प्रशासन में महिलाओं की प्रभावशाली भागीदारी रही है।

- **इंदिरा गांधी (1917-1984):** भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं (1966-1977, 1980-1984)। उनके नेतृत्व में भारत ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की और हरित क्रांति को बढ़ावा दिया।
- **प्रतिभा पाटिल (1934):** भारत की पहली महिला राष्ट्रपति (2007-2012) बनीं, जिन्होंने प्रशासनिक और सामाजिक क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त किया।

शिक्षा और साहित्य में महिलाओं की भूमिका

भारतीय महिलाओं ने शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में भी नए आयाम स्थापित किए हैं।

- **कल्पना चावला (1961-2003):** भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनीं, जिन्होंने नासा के स्पेस मिशन में भाग लिया।
- **अमृता प्रीतम (1919-2005):** प्रसिद्ध लेखिका और कवयित्री, जिन्होंने महिलाओं की भावनाओं और समाज की सच्चाई को अपने लेखन के माध्यम से व्यक्त किया।

सामाजिक सेवा में महिलाओं की प्रेरणादायक कहानियाँ

महिलाओं ने समाज सुधार और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में भी सराहनीय कार्य किए हैं:

- **मदर टेरेसा (1910-1997) :** गरीबों और असहायों की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाली नॉबेल पुरस्कार विजेता।

- **सुधा मूर्ति :** सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका, जिन्होंने गरीबों और अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए कई प्रयास किए।

आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका

आज भारतीय महिलाएँ उद्योग, व्यापार और अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

- **किरण मजूमदार शॉ:** बायोकॉन कंपनी की संस्थापक, जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाया।
- **फाल्गुनी नायर:** नायका कंपनी की संस्थापक, जिन्होंने महिलाओं के लिए सौंदर्य और फैशन उद्योग में क्रांति लाई।

खेल जगत में महिलाओं की उपलब्धियाँ

भारतीय महिलाएँ खेलों में भी शानदार प्रदर्शन कर रही हैं:

- **साइना नेहवाल और पीवी सिंधु:** बैडमिंटन में ओलंपिक पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया।
- **मिताली राज:** भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रहीं और महिला क्रिकेट को नई पहचान दी।
- **मैरी कॉम:** छह बार की वर्ल्ड चैंपियन मुक्केबाज, जिन्होंने महिला मुक्केबाजी को नया मुकाम दिया।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं की सफलता

भारतीय वैज्ञानिक महिलाएँ भी विश्वस्तर पर अपनी पहचान बना रही हैं।

- **डॉ. टेसी थॉमस:** भारत की 'मिसाइल वुमन', जिन्होंने अग्नि मिसाइल परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- **डॉ. आरती प्रभाकर:** भारतीय मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक, जिन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

न्याय और सामाजिक सुधार में महिलाओं की भूमिका

महिलाओं ने न्याय और समाज सुधार में भी अपनी अहम भूमिका निभाई है।

- **किरण बेदी:** भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी, जिन्होंने पुलिस प्रशासन में सुधार लाया।
- **मालती देवी चौधरी:** सामाजिक कार्यकर्ता, जिन्होंने महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों के लिए कार्य किया।

ये कहना विल्कुल सही होगा कि आज भारत में महिलाएँ हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। समाज की मानसिकता बदली है और महिलाएँ शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, राजनीति, खेल और उद्योग जगत में नए आयाम स्थापित कर रही हैं। महिलाओं का योगदान केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि वे भविष्य के भारत के निर्माण की भी आधारशिला हैं।

"यत्र नार्यस्तु पूज्यंते, रमंते तत्र देवताः" अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहाँ देवताओं का वास होता है। यही सिद्धांत भारतीय संस्कृति की आत्मा है और यही आधुनिक भारत की दिशा भी होनी चाहिए।

"नारी शक्ति, देश की शक्ति!"

ज्ञातिभिः : वण्यते नैव चोरेणापि न नीयते।
दाने नैव क्षयं याति विद्यारत्नं महाधनम् ॥

विद्यारूपी धन ऐसा महाधन है जो न तो बंधुजनों के द्वारा बांटा जा सकता है न ही चोर के द्वारा चुराया जा सकता है और न ही दान करने से यह नष्ट हो सकता है।

महिला शिक्षा का महत्व

रमेश झा
उप प्रबंधक

महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शिक्षा को सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। शिक्षा न केवल महिलाओं के व्यक्तित्व का विकास करती है बल्कि महिलाओं की आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है परंतु भारत में अभी भी महिला शिक्षा दर बहुत पीछे है।

पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार यदि ही हम एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप केवल एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं परंतु यदि हम एक महिला को शिक्षित करते हैं तो हम पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं इस प्रकार महिला सशक्तिकरण का अर्थ है, भारत माता का सशक्त होना। भारत देश के समग्र विकास में महिलाओं की शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है महिला शिक्षा देश के मानव संसाधन के विकास में मदद के साथ-साथ घर और बाहर की जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

शिक्षित महिलाएं समाज में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ-साथ समाज के बच्चों को बेहतर मार्गदर्शन भी प्रदान कर सकती है। भारत में सरकार के प्रयासों एवं उठाए गए कदमों से महिलाओं की स्थिति में दिन प्रतिदिन सुधार हो रही है।

भारत में केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार भी महिलाओं की शिक्षा के लिए कई योजनाएं चला रही है जैसे केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना' जिसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2015 में की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को बचाना तथा उसे शिक्षित करना है। आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए यह योजना अत्यंत लाभप्रद है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार की 'सुकन्या समृद्धि योजना', 'बालिका समृद्धि योजना', 'सीबीएसई उड़ान', 'धनलक्ष्मी योजना' इत्यादि योजनाएं हैं जिसका लाभ महिला शिक्षा एवं सशक्तिकरण में हो रहा है।

इसी प्रकार राज्य सरकार में महिला शिक्षा के महत्व को जानते हुए महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा तथा सशक्तिकरण के लिए कई योजना चल रही है।

एक विकसित और सशक्त राष्ट्र के लिए महिलाओं का शिक्षित होना तथा उनका सशक्तिकरण अत्यंत आवश्यक है क्योंकि शिक्षित महिलाएं राष्ट्र निर्माण और प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं तथा हर क्षेत्र में अपना योगदान प्रदान कर सकती है जो राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए आवश्यक है।

"होगी जय, होगी जय, हे पुरुषोत्तम नवीन।"
कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन।
राम की शक्ति पूजा- सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला'

चिकित्सा से INA तक : कैप्टन लक्ष्मी सहगल की क्रांतिकारी यात्रा

कुनाल बैद्य
प्रबंधक (आंतरिक लेखापरीक्षा)

झांसी की रानी रेजिमेंट का परिचय:

झांसी की रानी रेजिमेंट आज़ाद हिन्द फौज (INA) की महिला इकाई थी, जिसे भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के उद्देश्य से बनाया गया था। यह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान महिलाओं की कुछ चुनिंदा युद्धक रेजिमेंटों में से एक थी, जिसका नेतृत्व लक्ष्मी सहगल ने किया था।

नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 12 जुलाई 1943 को इसकी स्थापना की घोषणा की। इसके अधिकतर सदस्य युवा भारतीय मूल की महिलाएँ थीं, जो "मलाया" की रबर बागानों में रहती थीं। इनमें से बहुत कम महिलाएँ भारत गई थीं, लेकिन वे इसे ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए उत्सुक थीं। कई महिलाओं ने अपने आरामदायक जीवन को छोड़कर इस स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया।

इस रेजिमेंट की शुरुआत सिंगापुर में लगभग 170 कैडेट्स के साथ हुई। उनकी शिक्षा के अनुसार उन्हें गैर-कमीशंड अधिकारी या सिपाही का पद दिया गया। बाद में रंगून और बैंकॉक में भी प्रशिक्षण शिविर स्थापित किए गए और नवंबर 1943 तक इसमें 300 से अधिक सदस्य हो गए। इन महिलाओं को सैनिक प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें अभ्यास, परेड, और राइफल, हैंड ग्रेनेड व संगीन (बायोनट) के साथ लड़ाई के गुर सिखाए गए। कुछ महिलाओं को विशेष रूप से जंगल युद्ध की ट्रेनिंग के लिए बर्मा भेजा गया।

नेताजी के साथ परैड करती हुई कप्तान लक्ष्मी सहगल

सुभाष चंद्र बोस की पहली झलक: लक्ष्मी का जन्म 24 अक्टूबर 1914 को मद्रास में हुआ था। उनके पिता मद्रास के प्रमुख आपराधिक वकीलों में से एक थे, और उनकी माँ एक स्थानीय महिला संगठन की सक्रिय सदस्य थीं। जब अखिल भारतीय महिला सम्मेलन (All-India Women's Conference) बना, तो उनकी माँ भी इसमें शामिल हो गईं और इसके वार्षिक सम्मेलनों में जाने लगीं।

इन्हीं सम्मेलनों के दौरान, दिसंबर 1928 में कोलकाता में, लक्ष्मी ने पहली बार सुभाष चंद्र बोस को देखा। उन्होंने देखा कि कैसे वह खाकी वर्दी पहने लोगों को सैनिकों की तरह प्रशिक्षित कर रहे थे। वे रोज़ सुबह उन्हें अनुशासन और युद्ध के तरीके सिखाते थे। लक्ष्मी चुपचाप जाकर उनकी परेड और अभ्यास को देखती थीं।

हालांकि, उनकी माँ बोस से प्रभावित नहीं थीं। उन्हें लगता था कि बोस सिर्फ दिखावा कर रहे हैं और वर्दी में इधर-उधर घूम रहे हैं। उनकी माँ जीवनभर गांधी की अनुयायी बनी रहीं। लेकिन धीरे-धीरे उन्हें एहसास हुआ कि केवल बैठकें करने और प्रस्ताव पास करने से कुछ नहीं होगा। असली बदलाव लाने के लिए और भी बड़े कदम उठाने की

जरूरत थी।

सिंगापुर में जीवन और झांसी की रानी रेजिमेंट से जुड़ाव: लक्ष्मी की शादी टाटा एयरलाइंस के एक पायलट से हुई थी। वह छह महीने तक उनके साथ बॉम्बे में रहीं, लेकिन उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनी। इसलिए, वह मद्रास लौट आईं और अपनी मेडिकल पढ़ाई पूरी की। इस दौरान, उन्हें अपने एक सीनियर सहपाठी से प्रेम हो गया, लेकिन उनके पति ने विवाह-विच्छेद से इनकार कर दिया। बाद में, उनका वह सहपाठी डॉक्टर बनकर सिंगापुर चला गया। जून 1940 में, लक्ष्मी भी सिंगापुर चली गईं और "गेयलैंग" में स्थित उनके क्लिनिक में काम करने लगीं। वहां वह स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ बनीं, जबकि उनके साथी सामान्य चिकित्सा देखते थे।

8 दिसंबर 1941 को जापानी सेना ने सिंगापुर पर हमला किया। स्वतंत्रता सेनानी रासबिहारी बोस जापानियों के साथ आए थे और उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। जुलाई 1943 में, सुभाष चंद्र बोस पहले जापान गए, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री तोजो को यह मानने के लिए राजी किया कि वह केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया के नेता हैं। इसके बाद, जब वह सिंगापुर पहुंचे, तो रासबिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का नेतृत्व बोस को सौंप दिया।

एक बड़े जनसभा में, नेताजी ने चौंकाने वाली घोषणा की - वह एक महिला सैनिक रेजिमेंट बनाना चाहते थे, जिसका नाम 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ वीरतापूर्वक लड़ने वाली झांसी की रानी के नाम पर रखा जाएगा। लक्ष्मी ने तुरंत इस सेना में शामिल होने की इच्छा जताई। अगले ही दिन, नेताजी ने उन्हें अपने मुख्यालय में एक कमरा दिया और उन्होंने महिलाओं की भर्ती शुरू कर दी। यह तारीख 8 जुलाई 1943 थी।

झांसी की रानी रेजिमेंट में दैनिक दिनचर्या: रेजिमेंट में दिन की शुरुआत सुबह 6 बजे शारीरिक प्रशिक्षण से होती थी। सुबह के समय सैनिक अभ्यास (ड्रिल) होता था, और दोपहर में कक्षाएँ लगती थीं। जो महिलाएँ पढ़ना-लिखना नहीं जानती थीं, उन्हें पढ़ने की शिक्षा दी जाती थी। वहीं, अधिकारी बनने की योग्यता रखने वाली महिलाओं को सैन्य रणनीति और नक्शा पढ़ने का प्रशिक्षण दिया जाता था। बाद में, इन्हें सेना के नियमित ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल भेजा जाता था।

इसके अलावा, एक नर्सिंग दल भी बनाया गया, जिसमें कुछ स्वयंसेवक और कुछ ऐसी महिलाएँ थीं जो पूरी तरह से शारीरिक रूप से सक्षम नहीं थीं। नर्सिंग प्रशिक्षुओं को "बिदादारी" के अस्पताल में काम दिया गया, लेकिन वे भी पैदल ड्रिल में भाग लेती थीं। सैनिकों को समय-समय पर शूटिंग अभ्यास के लिए राइफल रेंज ले जाया जाता था। सप्ताह में एक बार, पूरी रेजिमेंट शाम के ठंडे मौसम में तीन से चार घंटे की लंबी पदयात्रा करती थी। सिंगापुर के लोगों के लिए यह एक चौंकाने वाला दृश्य था कि भारतीय महिलाएँ इतनी गंभीरता से सैनिक बनने की तैयारी कर रही थीं, जबकि उनके पहले के जीवन को देखकर ऐसा सोचना भी मुश्किल था।

जब तक कोई सरकारी जिम्मेदारी नहीं होती, लक्ष्मी अपने सैनिकों के साथ ही अभ्यास करती थीं। ड्रिल, अध्ययन, मार्च और निशानेबाजी में पूरी तरह भाग लेती थीं। वह "ब्रास बसाह" शिविर में रहती थीं और सिंगापुर में अपने रिश्तेदारों से बहुत कम मिलती थीं।

समय के साथ, यह रेजिमेंट 1,500 प्रशिक्षित महिला सैनिकों और 200 नर्सिंग स्टाफ की मजबूत सेना बन गई।

INA का पीछे हटना: झांसी की रानी रेजिमेंट केवल "बर्मा" के मध्य तक ही पहुँच सकी क्योंकि जापानी सेना के समर्थन से "इंफाल" पर किए गए INA के हमले को ब्रिटिश सेना ने नाकाम कर दिया। ब्रिटिश सेना को भारी संख्या में नए सैनिक मिले थे, जिससे वे अपने किलेबंदी को और मजबूत कर सके। भारी नुकसान उठाने के बाद, INA को मजबूरन पीछे हटना पड़ा। इस बीच, वर्षा ऋतु भी समय से पहले आ गया, जिससे आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन हो गया। नेताजी को अनिच्छा से वापसी का आदेश देना पड़ा। भोजन और हथियारों की कमी से जूझ रही आईएनए ने मध्य बर्मा में खुद को संगठित किया और

ब्रिटिश सेना की गति को धीमा करने के लिए फिर से हमला किया।

इसके बाद झांसी की रानी रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। जिन महिलाओं के परिवार बर्मा में थे, उन्हें सुरक्षित उनके घर भेज दिया गया। नेताजी खुद मलेशिया से आए दल को पहले थाईलैंड और फिर मलेशिया तक ले गए। लेकिन, झांसी की रानी रेजिमेंट की महिलाओं ने लड़ाई जारी रखने की इच्छा जताई। उन्होंने अपने ही खून से एक पत्र लिखकर नेताजी से अनुरोध किया कि वे पीछे हटने की बजाय युद्ध में लड़कर मरना पसंद करेंगी।

इस समय, लक्ष्मी ने गंभीर रूप से घायल सैनिकों के लिए स्थापित INA अस्पताल में सेवा करने का फैसला किया। अगले ही दिन, जब नेताजी अस्पताल का दौरा करने वाले थे, तभी वहाँ भारी बमबारी हुई। अस्पताल पूरी तरह नष्ट हो गया और अधिकतर घायल सैनिक मारे गए। कुछ बचे हुए मरीजों को बैलगाड़ियों में ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन जून 1945 की शुरुआत में, ब्रिटिश सेना ने उन्हें रंगून के रास्ते में पकड़ लिया।

लक्ष्मी को अन्य INA सैनिकों से अलग कर दिया गया और रंगून ले जाया गया, जहाँ उनसे पूछताछ की गई। अस्पताल का हाल बहुत बुरा था, पानी की पाइपें टूटी हुई थीं, सीवर जाम था और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। बड़ी मेहनत के बाद, इसे फिर से रहने लायक बनाया गया। लक्ष्मी को नजरबंद रखा गया, लेकिन मार्च 1946 में उन्हें रिहा कर भारत वापस भेज दिया गया।

INA के पश्चात जीवन: 1947 में, लक्ष्मी ने कर्नल प्रेम कुमार सहगल से शादी की, जो INA में उनके साथ सेवा कर चुके थे। इसके बाद, उन्होंने कानपुर में अपनी चिकित्सा प्रैक्टिस फिर से शुरू की और गरीब मरीजों की भलाई के लिए काम किया।

वह जीवनभर एक महान सामाजिक कार्यकर्ता रहीं। बांगलादेश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, उन्होंने कलकत्ता में राहत शिविर और चिकित्सा सहायता आयोजित करके हजारों शरणार्थियों की मदद की। 1984 में, उन्होंने भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों का इलाज करने के लिए एक चिकित्सा दल का नेतृत्व किया।

1998 में, उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनकी मृत्यु के बाद (97 वर्ष की उम्र में), उनकी इच्छा के अनुसार उनका शरीर चिकित्सा शोध के लिए कानपुर मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया गया।

कैप्टन लक्ष्मी सहगल की यात्रा, जो एक डॉक्टर से लेकर INA में सेवा देने और जनता की मदद करने तक फैली हुई है, प्रेरणादायक रही है। हालांकि, इसे अक्सर चर्चा में नहीं लाया जाता और न ही उतना सम्मान मिलता है जो इसे मिलना चाहिए।

<u>सन्दर्भ:</u>

1. NDTV article by Lakshmi Sahgal, “My days in the Indian National Army” Dated.23.07.2012
2. “The Forgotten Army-India's armed struggle for independence” By Peter Ward Fay
3. Web Page: https://amritmahotsav.nic.in/freedom-movement-detail.htm?13
4. Web Page: https://cmeindia.in/history-today-in-medicine-captain-dr-lakshmi-sahgal/
5. Web Page: https://allindiaroundup.com/news/captain-lakshmi-a-role-model-for-every-girl/

ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण और विकास की राह

राहुल
वरिष्ठ प्रबंधक (कॉर्पोरेट योजना)

भारत की आत्मा गाँवों में बसती है, और ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण देश के समग्र विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण महिलाएँ कृषि, कुटीर उद्योग, पशुपालन और घरेलू कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से वे अभी भी पिछड़ी हुई हैं। यदि इन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय स्वतंत्रता और निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिले, तो ये न केवल अपने परिवार बल्कि समाज और राष्ट्र की उन्नति में भी बड़ा योगदान दे सकती हैं।

ग्रामीण महिलाओं की स्थिति : ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को कई सामाजिक और आर्थिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। शिक्षा की कमी, बाल विवाह, स्वास्थ्य सुविधाओं की अनुपलब्धता, वित्तीय निर्भरता और पारिवारिक जिम्मेदारियाँ उनके सशक्तिकरण में बड़ी बाधाएँ हैं।

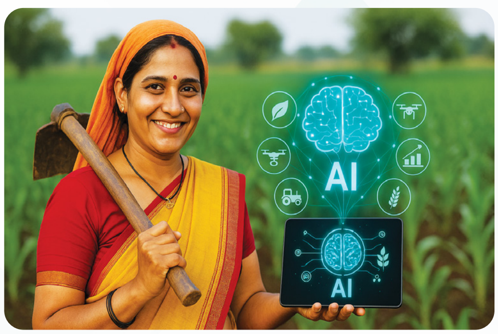

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के अनुसार, ग्रामीण भारत में केवल 66% महिलाएँ साक्षर हैं, जबकि पुरुषों की साक्षरता दर 81% है। यह अंतर स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि शिक्षा के बिना महिलाओं का सशक्तिकरण संभव नहीं है।

महिला सशक्तिकरण के प्रमुख स्तंभ

1. शिक्षा और कौशल विकास

- शिक्षा किसी भी समाज की प्रगति की नींव होती है। सरकारी योजनाओं जैसे 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' और 'सुकन्या समृद्धि योजना' ने ग्रामीण बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया है।
- कौशल विकास योजनाएँ जैसे 'दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना' (DDU-GKY) महिलाओं को रोजगार योग्य बनाने में मदद कर रही हैं।

2. आर्थिक स्वतंत्रता और रोजगार

- स्वयं सहायता समूह (SHGS) ग्रामीण महिलाओं को वित्तीय सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत लाखों महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया है।
- कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प, पशुपालन और कृषि आधारित व्यवसाय महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं।

3. स्वास्थ्य और पोषण

- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और आंगनवाड़ी सेवाएँ गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के पोषण स्तर को सुधारने में मदद कर रही हैं।
- स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण से महिलाओं के सम्मान, स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार हुआ है।

4. डिजिटल सशक्तिकरण और तकनीकी साक्षरता

- डिजिटल इंडिया पहल के तहत 'स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि' (PM SVANidhi) और अन्य योजनाओं से महिलाओं को ऑनलाइन बैंकिंग और डिजिटल लेन-देन के प्रति जागरूक किया गया है।
- मोबाइल और इंटरनेट के बढ़ते उपयोग से महिलाएँ ऑनलाइन शिक्षा और ई-कॉमर्स से जुड़ रही हैं।

5. सामाजिक परिवर्तन और नेतृत्व

- महिला पंचायत प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ी है, जिससे वे स्थानीय प्रशासन में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।
- 'मिशन शक्ति' और 'वन स्टॉप सेंटर' जैसी योजनाएँ महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा को बढ़ावा दे रही हैं।

चुनौतियाँ और समाधान

- हालाँकि सरकार और विभिन्न संगठनों के प्रयासों से ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी चुनौतियाँ बनी हुई हैं:

रूढ़िवादी सोच और पितृसत्तात्मक व्यवस्था : इसके लिए शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों की आवश्यकता है।

- **संपत्ति और भूमि स्वामित्व में असमानता :** महिलाओं को संपत्ति अधिकार दिलाने के लिए कानूनी सुधारों की जरूरत है।
- **वित्तीय जागरूकता की कमी :** बैंकिंग और डिजिटल लेन-देन की ट्रेनिंग देकर इसे दूर किया जा सकता है।

निष्कर्ष

ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण केवल उनकी बेहतरी के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। जब एक महिला सशक्त होती है, तो वह अपने परिवार, समाज और देश को आगे बढ़ाने में योगदान देती है। सरकार, समाज और निजी क्षेत्र को मिलकर महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में निरंतर प्रयास करने होंगे, ताकि 'नए भारत' का सपना साकार हो सके, जहाँ महिलाएँ आत्मनिर्भर और सक्षम हों।

"अगर एक महिला शिक्षित होती है, तो पूरी पीढ़ी शिक्षित होती है।"

"राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11 के अनुसार केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, हिंदी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप से यथास्थिति मुद्रित किया जाएगा।"

कह दे अतीत अब मौन त्याग,
लंके, तुझमें क्यों लगी आग?
ऐ कुरुक्षेत्र! अब जाग, जाग
बतला अपने अनुभव अनंत,
वीरों का कैसा हो वसंत?

~ सुभद्राकुमारी चौहान

आशीष विश्वकर्मा
सहायक प्रबंधक

महिला सशक्तिकरण क्या है?

महिला सशक्तिकरण को बेहद आसान शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है कि इससे महिलाएँ शक्तिशाली बनती है जिससे वो अपने जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती है और परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती है। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिये उन्हें सक्षम बनाना महिला सशक्तिकरण है।

भारत में महिला सशक्तिकरण की क्यों जरुरत है ? एक अनिवार्य सामाजिक परिवर्तन

हमने नारी को अनेक रूपों में देखा है—कभी बेटी के रूप में, कभी पत्नी, माँ या बहू के रूप में, तो कभी देवी के रूप में। यदि सत्य कहा जाए, तो वह वास्तव में अनेक हाथों वाली देवी ही है, जो अपने परिवार और समाज के लिए निरंतर समर्पित रहती है—बिना किसी शिकायत, बिना किसी अपेक्षा के। फिर भी विडंबना यह है कि हम उसी नारी को जीवन के हर मोड़ पर दबाना चाहते हैं, उसे अपने संरक्षण में रखना चाहते हैं, उसकी स्वतंत्र उड़ान पर पहरे बिठाना चाहते हैं।

इसी कारण, आज के समय में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। जिस नारी शक्ति को हम मंदिरों में देवी के रूप में पूजते हैं, वही नारी सामाजिक जीवन में अनेक स्तरों पर उपेक्षित और शोषित है। हमें उसका जीवन स्तर ऊपर उठाना होगा, उसे उसके अधिकारों का वास्तविक भान कराना होगा, और सबसे अहम—उसे आत्मनिर्भर बनाना होगा।

आज आवश्यकता है कि देश की आधी आबादी, अर्थात महिलाएँ, समाज के प्रत्येक क्षेत्र में सशक्त और समर्थ बनें। क्योंकि उनका सशक्तिकरण केवल उनका व्यक्तिगत विकास नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र के सर्वांगीण विकास की बुनियाद है।

भारत, जो 'विविधता में एकता' के लिए जाना जाता है, यहाँ विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों में महिलाओं को विशेष स्थान प्राप्त है। परंतु सामाजिक यथार्थ इससे भिन्न है। इतिहास और वर्तमान में भी महिलाएँ कई अमानवीय प्रथाओं और अत्याचारों का शिकार रही हैं—जैसे सती प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह, यौन हिंसा, कार्यस्थल पर शोषण, भ्रूण हत्या, पर्दा प्रथा और नगर वधु प्रथा आदि। इन कुप्रथाओं ने महिलाओं की गरिमा को गहरी चोट पहुँचाई है।

सौभाग्यवश, हमारे समाज में ऐसे महापुरुष भी हुए जिन्होंने इन अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए कठोर संघर्ष किया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह को वैधानिक मान्यता दिलाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वामी विवेकानंद और आचार्य विनोबा भावे जैसे सुधारकों ने नारी शिक्षा और स्वतंत्रता के पक्ष में जनजागरण किया।

आज भी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और समानता सुनिश्चित करने के लिए अनेक संवैधानिक और कानूनी अधिकार प्रदान किए हैं। लेकिन केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं, सामाजिक चेतना और सामूहिक प्रयास भी अत्यंत आवश्यक हैं।

आधुनिक समाज अब महिलाओं के अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक हो रहा है। अनेक स्वयंसेवी संस्थाएँ और गैर-सरकारी संगठन महिला कल्याण के लिए कार्यरत हैं। महिलाएँ अब सामाजिक बंधनों को तोड़कर शिक्षा, व्यवसाय, विज्ञान, खेल और राजनीति जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दे रही हैं। फिर भी, महिला अपराध और लैंगिक भेदभाव आज भी एक सच्चाई है, जिसे नकारा नहीं जा सकता।

इसलिए आज सबसे ज़रूरी है कि हम अपनी सोच में बदलाव लाएँ। महिलाओं को केवल सहानुभूति नहीं, सम्मान और स्वतंत्रता दी जाए। यह उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। महिलाओं को भी यह

विश्वास जगाना होगा कि वे न केवल पुरुषों के समकक्ष हैं, बल्कि अनेक क्षेत्रों में उनसे श्रेष्ठ भी सिद्ध हो सकती हैं। योग, आत्मरक्षा, शारीरिक शिक्षा और मानसिक दृढ़ता के माध्यम से वे स्वयं को हर दृष्टि से सशक्त बना सकती हैं।

महिला सशक्तिकरण केवल एक सामाजिक अभियान नहीं, बल्कि एक ऐसा यंत्र है जो परिवारों की खुशहाली, समाज की उन्नति और राष्ट्र के विकास की दिशा को तय करता है। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है

महिला सशक्तिकरण के कानूनी अधिनियम एवं सरकारी योजनाएँ:-

महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु केवल सामाजिक चेतना ही नहीं, बल्कि कानूनी अधिकारों की भी विशेष भूमिका होती है। भारत की संसद ने समय-समय पर महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और समानता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किए हैं। ये अधिनियम महिलाओं को कानूनी संरक्षण प्रदान करते हैं और समाज में उनकी स्थिति को सुदृढ़ बनाते हैं। इनमें प्रमुख हैं—

1. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 – पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करता है।
2. दहेज निषेध अधिनियम, 1961 – दहेज मांगना, देना या लेना एक दंडनीय अपराध घोषित करता है।
3. अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 – वेश्यावृत्ति और उससे संबंधित अपराधों की रोकथाम करता है।
4. गर्भपात चिकित्सा समाप्ति अधिनियम, 1971 (संशोधित 1987) – महिलाओं को सुरक्षित गर्भपात का अधिकार प्रदान करता है।
5. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 – बाल विवाह को रोकने और दोषियों को दंडित करने हेतु बनाया गया।
6. पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (नियंत्रण और दुरुपयोग निषेध) अधिनियम, 1994 – भ्रूण लिंग परीक्षण को अवैध घोषित करता है।
7. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 – महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है।

भारतीय समाज में सच में महिला सशक्तिकरण लाने के लिये महिलाओं के खिलाफ बुरी प्रथाओं के मुख्य कारणों को समझना और उन्हें हटाना होगा जो कि समाज की पितृसत्तामक और पुरुष प्रभाव युक्त व्यवस्था है। जरुरत है कि हम महिलाओं के खिलाफ पुरानी सोच को बदले और संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों में भी बदलाव लाये।

भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए कई सारी योजनाएं चलायी जाती है। महिला एंव बाल विकास कल्याण मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा भारतीय महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई सारी योजनाएं चलायी जा रही है। इन्हीं में से कुछ मुख्य योजनाओं के विषय में नीचे बताया गया है।

1) बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं योजना, 2) महिला हेल्पलाइन योजना, 3) उज्जवला योजना, 4) सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वूमेन (स्टेप), 5) महिला शक्ति केंद्र, 6) पंचायाती राज योजनाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण, 7) महतारी वंदन योजना, 8) फ्री सिलाई मशीन योजना, 9) फ्री आटा चक्की वितरण योजना, 10) लाडली बहना योजना, 11) नारी सम्मान योजना, 12) सखी – वन स्टॉप सेंटर योजना, 13) प्रधान मंत्री मातृत्व वन्दना योजना, 14) आंगनबाड़ी लाभार्थी योजना, 15) मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना, 16) प्रधान मंत्री समर्थ योजना

महापुरुषों के विचार महिलाओं पर:-

1. महिलाओं को शिक्षित होना चाहिए ताकि वह पुरूषों के बराबर खड़ी रह सकें -महात्मा गांधी।
2. महिलाओं को सुशील चरित्रवान निडर शक्तिशाली व्यक्तित्व के रूप में विकसित करना शिक्षक का उपदेश होना चाहिए- स्वामी विवेकानन्द।
3. कोई तुम्हें कामजोर समझे इसके लिए तुम्हें शिक्षा का महत्व समझना होगा है - सावित्रीबाई फुले।

निष्कर्ष: जिस तरह से भारत सबसे तेज आर्थिक तरक्की प्राप्त करने वाले देशों में शुमार हुआ है, उसे देखते हुए निकट भविष्य में भारत को महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। हमें महिला सशक्तिकरण के इस कार्य को समझने की आवश्यकता है क्योंकि इसी के द्वारा ही देश में लैंगिग समानता और आर्थिक तरक्की को प्राप्त किया जा सकता है।

सरकार को महिलाओं के वास्तविक विकास के लिये पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में जाना होगा और वहाँ की महिलाओं को सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं और उनके अधिकारों से अवगत कराना होगा जिससे उनका भविष्य बेहतर हो सके। महिला सशक्तिकरण के सपने को सच करने के लिये महिलाओं के महत्व और उनकी शिक्षा को प्रचारित करने की जरुरत है। और महिलाओं को शिक्षित करना पड़ेगा ताकि वे ज्यादा से ज्यादा समाज में अपना योगदान दें और अपनी भागीदारी बढ़ाएं।

महिलाओं को उनकी वास्तविक शक्ति से परिचित कराने का सर्वश्रेष्ठ साधन शिक्षा है।

ब्रिज एण्ड रूफ द्वारा राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं

नम्रता मेहता
समूह महाप्रबंधक (कॉर्पोरेट सेवाएँ)

ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक ऐसी परियोजनाएं क्रियान्वित की गई हैं, जो राष्ट्रीय महत्व की श्रेणी में आती हैं। इनमें औद्योगिक संयंत्रों का निर्माण, अवसंरचनात्मक विकास, ऊर्जा, इस्पात, परिवहन, रक्षा तथा सार्वजनिक उपयोग की अन्य महत्त्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं ने न केवल राष्ट्र की आधारभूत संरचना को सशक्त किया है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनमे से कुछ चुनिंदा परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है

इको पार्क में सोलर डोम : पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, पश्चिम बंगाल सरकार के लिए कोलकाता के इको-पार्क में 'सोलर डोम' का निर्माण:

2021 में अनावरण किया गया कोलकाता के इको पार्क में 'सोलर डोम' शहरी डिजाइन में अक्षय ऊर्जा के निर्बाध एकीकरण का उदाहरण है। 27 मीटर लंबा और 46 मीटर व्यास वाला यह छोटा भूगर्भीय गोला सौर पैनलों से सुसज्जित है, जिसकी कुल क्षमता 355.70 kWp है। सौंदर्य से परे, यह पार्क को महत्वपूर्ण रूप से ऊर्जा प्रदान करता है तथा इसके कार्बन पदचिह्न को कम करता है और एक शैक्षिक केंद्र के रूप में कार्य करता है, जो आगंतुकों को सौर ऊर्जा की क्षमता और स्थिरता के बारे में बताता है। यह वास्तुशिल्प ब्रिज एण्ड रूफ के अक्षय ऊर्जा और पर्यावरण चेतना के प्रति दृढ़ समर्पण को दर्शाता है, जो प्रौद्योगिकी और स्थिरता के समावेशन को प्रदर्शित करता है।

अंतरराज्यीय बस टर्मिनस : शहरी गतिशीलता में परिवर्तन: ओडिशा सरकार के लिए भुवनेश्वर के बरमुंडा में अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी) का निर्माण ईपीसी मोड पर शुरू की गई आईएसबीटी बरमुंडा परियोजना। भुवनेश्वर में विश्व स्तरीय शहरी परिवहन बुनियादी ढांचे के निर्माण की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है। एक प्रमुख पहल के रूप में परिकल्पित, इस परियोजना को न केवल मौजूदा परिवहन प्रणाली को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, बल्कि शहर की पारगमन पारिस्थितिकी तंत्र में अन्य आधुनिकीकरण प्रयासों की मेजबानी को भी निर्बाध रूप से पूरक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें सिटी बस सेवाओं का पुनरुद्धार भी शामिल है।

15.5 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैले, मौजूदा बरमुंडा बस टर्मिनल वर्तमान में भुवनेश्वर का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त टर्मिनल है, जो अंतरराज्यीय और अंतर-शहरी बस संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य करता है। वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 800 बसों की आवाजाही के साथ, टर्मिनल क्षेत्रीय संपर्क में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगामी टर्मिनल को प्रतिदिन

लगभग 2,000 बसों की भविष्य की क्षमता को संभालने के लिए सावधानीपूर्वक योजनाबद्ध किया गया है, इस प्रकार यह राज्य की बढ़ती गतिशीलता आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

यह प्रतिष्ठित परियोजना भुवनेश्वर के स्मार्ट और समावेशी शहर बनने के दृष्टिकोण के अनुरूप है, साथ ही ओडिशा के सतत शहरी विकास और पारगमन-उन्मुख विकास के व्यापक लक्ष्यों का समर्थन करती है। एक बार पूरा हो जाने पर, आईएसबीटी बरमुंडा

एक आदर्श परिवहन सुविधा के रूप में उभरने के लिए तैयार है, जो क्षेत्र में उपयोगकर्ता अनुभव, यातायात प्रवाह और आर्थिक क्षमता में उल्लेखनीय सुधार करेगा।

ओडिशा सरकार द्वारा ईपीसी मोड पर आरंभ की गई आईएसबीटी बरमुंडा परियोजना, भुवनेश्वर में विश्वस्तरीय शहरी परिवहन अवसंरचना के विकास की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल है। इस महत्त्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य न केवल वर्तमान परिवहन प्रणाली के दबाव को कम करना है, बल्कि इसे शहर के पारगमन पारिस्थितिकी तंत्र में चल रहे अन्य आधुनिकीकरण प्रयासों — जैसे सिटी बस सेवाओं के पुनरुद्धार — के साथ समन्वित रूप से जोड़ना भी है।

लगभग 15.5 एकड़ भूमि पर फैला हुआ मौजूदा बरमुंडा बस टर्मिनल, भुवनेश्वर का सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक व्यस्त टर्मिनल है, जो अंतरराज्यीय एवं अंतर-शहरी बस संचालन का एक प्रमुख केंद्र है। वर्तमान में यहाँ प्रतिदिन लगभग 800 बसें संचालित होती हैं, जिससे यह टर्मिनल क्षेत्रीय संपर्क का एक महत्त्वपूर्ण सेतु बन गया है। प्रस्तावित नव-निर्मित टर्मिनल को भविष्य में प्रतिदिन लगभग 2,000 बसों की आवाजाही को सँभालने की क्षमता के साथ सुनियोजित रूप से विकसित किया गया है, जिससे राज्य की बढ़ती परिवहन आवश्यकताओं की प्रभावी रूप से पूर्ति हो सके।

यह प्रतिष्ठित परियोजना भुवनेश्वर को एक स्मार्ट एवं समावेशी शहर के रूप में विकसित करने की परिकल्पना के अनुरूप है, तथा ओडिशा राज्य के सतत शहरी विकास और पारगमन-आधारित नियोजन के व्यापक लक्ष्यों को भी सशक्त समर्थन प्रदान करती है। परियोजना के पूर्ण हो जाने पर, आईएसबीटी बरमुंडा एक आदर्श परिवहन सुविधा के रूप में स्थापित होगा, जो न केवल यात्री अनुभव और यातायात प्रवाह को बेहतर बनाएगा, बल्कि क्षेत्र की आर्थिक संभावना को भी नई ऊँचाइयों तक पहुँचाएगा।

राजकीय मेडिकल कॉलेज - हरिद्वार : सरकारी मेडिकल कॉलेज का निर्माण - हरिद्वार, उत्तराखंड: कंपनी ने केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तहत जगजीतपुर, हरिद्वार में एक अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज और शिक्षण अस्पताल का निर्माण किया है। यह 65 एकड़ में फैला हुआ है और इसमें 100 एमबीबीएस डॉक्टर काम कर सकेंगे; और इसमें उन्नत छात्र प्रयोगशालाएं, संकाय कार्यालय, कौशल प्रयोगशालाएं और सेंट्रल एयर कन्डिशन्ड व्याख्यान कक्ष और पुस्तकालय शामिल हैं। 480 बिस्तरों वाला यह अस्पताल 24x7 आपातकालीन सेवाएं, मॉड्यूलर ओटी, डायग्नोस्टिक देखभाल और क्रिटिकल केयर यूनिट प्रदान करेगा।

आत्मनिर्भर परिसर में कर्मचारियों के लिए आवास, 525 छात्रों के लिए छात्रावास, जूनियर और सीनियर रेजिडेंट छात्रावास और एक गेस्ट हाउस शामिल हैं। 500 सीटों वाला परीक्षा हॉल, खेल सुविधाएँ, फैकल्टी क्लब हाउस और सामुदायिक केंद्र बुनियादी ढाँचे को और बेहतर बनाते हैं। स्थिरता के लिए डिज़ाइन किया गया यह परिसर सौर ऊर्जा से संचालित है, GRIHA-3 स्टार रेटेड है और गंगा में शून्य निर्वहन सुनिश्चित करता है। यह परियोजना स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा शिक्षा के बुनियादी ढाँचे में एक बेंचमार्क है।

गेल की उसार पीडीएच-पीपी परियोजना : गेल की उसर पीडीएच-पीपी परियोजना, भारत का पहला प्रोपेन डिहाइड्रोजनेशन (पीडीएच) संयंत्र है, जिसे उसर, महाराष्ट्र में विकसित किया जा रहा है और इसका परिचालन 2025 में शुरू होने वाला है। यह परियोजना प्रोपलीन उत्पादन को समान क्षमता के पॉलीप्रोपलीन

(पीपी) संयंत्र के साथ एकीकृत करेगी।

पीडीएच इकाई की क्षमता 500 केटीपीए (किलोटन प्रति वर्ष) होगी, जिससे समान क्षमता वाले पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) संयंत्र के साथ निर्बाध एकीकरण सुनिश्चित होगा।

भारत और दक्षिण एशिया में अपनी तरह की पहली सुविधा के रूप में, यह परियोजना पेट्रोकेमिकल उत्पादन में भारत की आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण महत्व रखती है। ब्रिज एंड रूफ इस परियोजना को क्रियान्वित करने वाले प्रमुख ठेकेदारों में से एक है, जो राष्ट्रीय विकास में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है।

वी : वीगन : "संधारणीयता के लिए प्रथम मंत्र"

वीगन या वीगनवाद का अर्थ है, पशुओं से मिलने वाले किसी भी प्रकार के उत्पाद का सेवन न करना। यह न केवल आहार बल्कि एक दर्शन भी है, जो पशु अधिकारों, पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य के बीच संतुलन स्थापित करता है।

वीगन लोग क्या खाते हैं?

वीगनवाद एक आहार और दर्शन है जिसमें किसी भी पशु उत्पाद का सेवन नहीं किया जाता। वीगन लोग केवल पौधों से बने खाद्य पदार्थों जैसे सब्ज़ियां, अनाज, नट, फल, और दालें खाते हैं। इस आहार में पशुओं के साथ किए गए अन्याय को भी नकारा जाता है और उनके पण्य स्थिति को अस्वीकार किया जाता है।

वीगनवाद के प्रकार:

1. पथ्य वीगन: ये लोग मांस, अंडे, दूध, शहद और अन्य पशु उत्पादों का सेवन नहीं करते हैं।

2. नीतिशास्त्रीय वीगन: ये लोग पशु उत्पादों के खिलाफ होते हैं, चाहे वह आहार से संबंधित हो या जीवन के अन्य क्षेत्रों से।

3. पर्यावरणीय वीगन: ये लोग पशु उत्पादों का त्याग करते हैं, क्योंकि यह मानते हैं कि पशुओं की उत्पत्ति और औद्योगिक कृषि पर्यावरण के लिए हानिकारक है।

वीगन आहार: पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद

अब जानते हैं कि वीगन आहार स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार लाभकारी है:

वीगन आहार में कोलेस्ट्रॉल और संतृप्त वसा कम होती है, जो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियों को नियंत्रित करने में मदद करती है। इसके अलावा, इसमें भरपूर मात्रा में एंटी-ऑक्सीडेंट होते हैं, जो इम्यूनिटी को बढ़ाने में सहायक होते हैं। यह आहार वज़न घटाने, हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाने और पुरानी बीमारियों से बचाव में मदद करता है।

अब जानते हैं कि यह आहार पर्यावरण की रक्षा कैसे करता है और कार्बन पदचिह्न को कैसे कम करता है:

वीगन आहार अपनाने से पशुपालन के लिए वनों की कटाई में कमी आती है, जिससे वन्यजीवों के आवास भी बचते हैं। इसका सीधा प्रभाव ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन पर होता है, और यह उत्सर्जन कम करने में सहायक होता है। वीगन आहार जल की कमी को भी कम करता है और पशु कल्याण को बढ़ावा देता है। यह आहार एक ज़्यादा टिकाऊ खाद्य प्रणाली को भी बढ़ावा देता है, जो हमारे ग्रह के लिए आवश्यक है।

जयश्री बंसल
प्रबंधक (समन्वय)

पर्यावरण पर प्रभाव:

2018 में एक अध्ययन में 119 देशों के डेटा का विश्लेषण करते हुए यह पाया गया कि वीगन आहार ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को 70% तक कम कर सकता है, जबकि शाकाहारी आहार 63% की कमी करता है। पशुधन खेती, जो वनों की कटाई, मीथेन उत्पादन और जल उपयोग की जड़ है, वीगन आहार में लगभग पूरी तरह से हटा दी जाती है। पुणे की पोषण विशेषज्ञ डॉ. स्नेहा मलिक का मानना है, "जबकि वीगन और शाकाहारी दोनों आहार पर्यावरण के अनुकूल हैं, वीगन आहार, डेयरी और अंडे को छोड़कर थोड़ा बेहतर करता है क्योंकि ये दोनों भी बड़े पैमाने पर पारिस्थितिकीय बोझ डालते हैं।"

जल पदचिह्न नेटवर्क की रिपोर्ट के अनुसार, 1 किलो बीफ़ उत्पादन में 15,400 लीटर पानी की खपत होती है। जबकि पनीर और अंडे के उत्पादन के लिए क्रमशः 5,000 और 3,300 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। वहीं, दाल, बीन्स और टोफू-आधारित उत्पाद जैसे वीगन आहार के मुख्य खाद्य पदार्थ, पानी के अधिक सुलभ और कम उपयोग वाले विकल्प होते हैं।

अन्तः

"स्थिरता केवल एक दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे ग्रह के भविष्य के लिए आवश्यक है। वीगनवाद, पशु-आधारित उपभोग को कम करने की दिशा में हर कदम एक स्वस्थ और टिकाऊ ग्रह में योगदान करता है।"

यह लेख वीगन आहार और इसके पर्यावरणीय और स्वास्थ्य लाभों को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है, ताकि लोग इसे अपनाकर एक स्वस्थ और स्थिर ग्रह की दिशा में कदम बढ़ा सकें।

सामाजिक चुनौतियां और प्रत्याशाएँ

खेमचंद माली
प्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी)

समाज में पिछड़ापन केवल आर्थिक या शैक्षिक स्तर पर ही नहीं होता, बल्कि मानसिकता और सोच में भी देखा जाता है। कुछ लोग अपनी संकीर्ण मानसिकता के कारण न केवल स्वयं को बल्कि आने वाली पीढियों को भी पीछे खींचने का प्रयास करते हैं। यह पिछड़ापन केवल संसाधनों की कमी से नहीं, बल्कि सोचने-समझने की क्षमता और नए बदलावों को अपनाने की अनिच्छा से भी उत्पन्न होता है।

आज की युवा पीढ़ी तकनीक, शिक्षा और वैश्विक विकास के कारण आगे बढ़ रही है, लेकिन समाज में मौजूद कुछ रुढ़िवादी विचारधाराएं और परंपरागत सोच उन्हें आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास करती हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि संस्था, परिवार या समाज के कुछ लोग नई सोच और प्रगतिशील विचारों का विरोध करते हैं और उन्हें पुराने रीति-रिवाजों के अनुसार ही जीवन जीने के लिए मजबूर करते हैं। इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह होता है कि युवा अपनी स्वतंत्र सोच को व्यक्त करने से हिचकिचाने लगते हैं और उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी आने लगती है। वे या तो समाज के डर से अपने सपनों को छोड देते हैं या फिर सामाजिक अस्वीकार्यता की भावना से जूझते रहते हैं।

जब कोई युवा कठिनाइयों और चुनौतियों को पार कर अपनी मेहनत के बल पर सफलता प्राप्त करता है, तो वही समाज जो उसे आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास कर रहा था, उसकी सफलता का श्रेय लेने की कोशिश करता है। जब कोई संघर्षरत युवा सहायता की उम्मीद करता है, तब समाज उसे सहयोग देने के बजाय उपेक्षा करता है। लेकिन जब वही व्यक्ति संघर्ष कर ऊँचाइयों तक पहुँचता है, तो वे लोग जो पहले उसे नीचा दिखाने में लगे थे, अब उससे लाभ लेने का प्रयास करने लगते हैं।

यह दोहरे मापदंड समाज में प्रगति की सबसे बड़ी बाधा है। ऐसी सोच के कारण ही कई प्रतिभाशाली युवा हतोत्साहित हो जाते हैं और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। समाज को यह समझना होगा कि केवल परंपराओं को थोपकर या युवा विचारों को दबाकर हम भविष्य को नहीं सुधार सकते। हमें परिवर्तन को स्वीकार करना होगा और नई सोच की अपनाना होगा।

युवा पीढी को चाहिए कि वे नकारात्मक सोच और सामाजिक अवरोधों से घबराए बिना अपने लक्ष्यों की और बढ़ते रहे। उन्हें यह समझना होगा कि परिवर्तन हमेशा संघर्ष मांगता है और समाज की सोच को बदलने के लिए धैर्य और दृढ़ता आवश्यक है। साथ ही, समाज को भी चाहिए कि वह पुरानी रुढ़ियों को छोडकर नई पीढ़ी के विचारों को अपनाने में सहयोग करे।

सकारात्मक बदलाव केवल तब संभव है जब हम पिछड़ेपन की मानसिकता को त्यागकर खुले विचारों को अपनाने के लिए तैयार होंगे। जब हम अपने युवाओं को आगे बढ़ने में सहयोग देंगे, तभी एक समृद्ध और विकसित समाज का निर्माण संभव होगा।

राष्ट्रभाषा किसी व्यक्ति या प्रान्त की संपत्ति नहीं है, इस पर सारे देश का अधिकार है। - सरदार वल्लभभाई पटेल

महाकुंभ : आस्था, शांति, और भारतीयता का संगम

शुभांगी प्रिया
पत्नी, श्री श्वेतांशु,
उप प्रबंधक (कॉर्पोरेट योजना)

महाकुंभ का आरंभ और उसकी पौराणिक कथा :

महाकुंभ भारत का एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व है, जो हर 12 वर्षों में चार पवित्र स्थानों - प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, और नासिक में आयोजित होता है। इस पर्व की जड़ें प्राचीन हिंदू धर्मग्रंथों में हैं और यह समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है।

कुम्भ पर्व के आयोजन को लेकर दो-तीन पौराणिक कथाएँ प्रचलित हैं जिनमें से सर्वाधिक मान्य कथा देव-दानवों द्वारा समुद्र मन्थन से प्राप्त अमृत कुम्भ से अमृत बूँदें गिरने को लेकर है। इस कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण जब इन्द्र और अन्य देवता कमजोर हो गए तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। तब सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हे सारा वृतान्त सुनाया। तब भगवान विष्णु ने उन्हे दैत्यों के साथ मिलकर क्षीरसागर का मन्थन करके अमृत निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर सम्पूर्ण देवता दैत्यों के साथ सन्धि करके अमृत निकालने के यत्न में लग गए। अमृत कलश के निकलते ही देवताओं के इशारे से इन्द्रपुत्र जयन्त अमृत-कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। उसके बाद दैत्यगुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लेने के लिए जयन्त का पीछा किया और घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में जयन्त को पकड़ा। तत्पश्चात अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए देव-दानवों में बारह दिन तक अविराम युद्ध होता रहा।

इस परस्पर मार काट के दौरान पृथ्वी के चार स्थानों (प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक) पर कलश से अमृत बूँदें गिरी थीं। युद्ध शान्त करने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर यथाधिकार सबको अमृत बाँटकर पिला दिया। अमृत प्राप्ति के लिए देव-दानवों में परस्पर बारह दिन तक निरन्तर युद्ध हुआ था। देवताओं के बारह दिन मनुष्यों के बारह वर्ष के तुल्य होते हैं। अतएव कुम्भ भी बारह होते हैं। उनमें से चार कुम्भ पृथ्वी पर होते हैं और शेष आठ कुम्भ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं।

कुंभ के प्रकार

कुंभ मेला को उसकी आवृत्ति और महत्व के आधार पर विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया गया है:

1. पूर्ण कुंभ मेला : यह प्रत्येक 12 वर्षों में चार पवित्र स्थलों – प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है।

2. **अर्ध कुंभ मेला (Ardh Kumbh Mela) :** प्रत्येक 6

वर्षों में प्रयागराज और हरिद्वार में आयोजित होता है।

3. महाकुंभ मेला (Maha Kumbh Mela) : यह सबसे दुर्लभ और शुभ कुंभ मेला है, जो 144 वर्षों में एक बार प्रयागराज में आयोजित होता है।

महाकुंभ का इतिहास : महाकुंभ का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। इसका उल्लेख ऋग्वेद, महाभारत, और पुराणों में मिलता है। यह मान्यता है कि महाकुंभ का आयोजन सबसे पहले प्रयागराज में हुआ था और आदि शंकराचार्य ने महाकुंभ की शुरुआत की थी। ऐतिहासिक साक्ष्य भी बताते हैं कि गुप्त और मौर्य साम्राज्य के दौरान भी महाकुंभ उत्सव का आयोजन होता था। लेकिन सम्राट हर्षवर्धन के शासन से इसके प्रमाण देखने को मिलते हैं। राजा हर्षवर्धन कुंभ के दौरान प्रयागराज में दान करते थे। इसके बाद शंकराचार्य और उनके शिष्यों ने संन्यासी अखाड़ों के लिए संगम तट पर शाही स्नान की व्यवस्था की थी।

कुंभ मेले के आयोजन स्थल और उनका महत्व

1. प्रयागराज (इलाहाबाद) - त्रिवेणी संगम

- **स्थान:** गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम।
- **पौराणिक कथा:** समुद्र मंथन के दौरान अमृत की कुछ बूंदें यहां गिरी थीं। इसलिए संगम में स्नान को मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है।
- **विशेषता:** यह महाकुंभ मेले का एकमात्र स्थल है।

2. हरिद्वार - गंगा का प्रवेश द्वार

- **स्थान:** उत्तराखंड में गंगा नदी के किनारे।
- **पौराणिक कथा:** यह वह स्थान है जहां अमृत कलश को देवताओं ने असुरों से छुपाया था।
- **विशेषता:** गंगा स्नान को पवित्र और आत्मा को शुद्ध करने वाला माना जाता है।

3. नासिक - गोदावरी नदी का पवित्र स्थान

- **स्थान:** महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर।
- **पौराणिक कथा:** नासिक को रामायण से जोड़ा जाता है, जहां भगवान राम ने अपने वनवास का समय बिताया था।
- **विशेषता:** रामकुंड में स्नान का विशेष महत्व है।

4. उज्जैन - क्षिप्रा नदी और महाकालेश्वर का धाम

- **स्थान:** मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के किनारे।
- **पौराणिक कथा:** उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है, जिसे शक्तिपुंज और अध्यात्मिकता का केंद्र माना जाता है।
- **विशेषता:** क्षिप्रा नदी में स्नान से मोक्ष और पुण्य की प्राप्ति होती है।

महाकुंभ में स्नान का महत्व और प्रभाव

महाकुंभ के दौरान गंगा, यमुना, और सरस्वती (प्रयागराज में त्रिवेणी संगम) में स्नान को अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह विश्वास है कि इस पवित्र स्नान से सभी पाप धुल जाते हैं और आत्मा शुद्ध होती है।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी, इन स्थानों पर पानी में पाए जाने वाले औषधीय गुण स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। महाकुंभ के स्नान का मानसिक और आध्यात्मिक प्रभाव भी देखा गया है। यह भक्तों को मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। स्नान करने के लिए विशेष दिन पौष पूर्णिमा, मकर संक्रान्ति, मौनी अमावस्या, वसन्त पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि है।

निष्कर्ष

कुंभ मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, यह भारतीय संस्कृति, एकता और आस्था का प्रतीक है। इसके चार पवित्र स्थल हमारी पौराणिक धरोहर को सजीव रखते हैं और लाखों लोगों को आध्यात्मिक शांति प्रदान करते हैं। कुंभ के इन विशेष स्थानों पर जाना और स्नान करना न केवल पापों से मुक्ति दिलाता है, बल्कि मानवता और धर्म की ओर एक नई दृष्टि प्रदान करता है।

नास्ति विद्यासमो बन्धुर्नास्ति विद्यासमः सुहृत्। नास्ति विद्यासमं वित्तं नास्ति विद्यासमं सुखम् ॥

विद्या जैसा बंधु नहीं, विद्या जैसा मित्र नहीं, (और) विद्या जैसा अन्य कोई धन या सुख नहीं।

अब भी रामू काका सब पे भारी हैं

तीर्थ रे
सहायक महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)

भारतीय खुदरा बाजार परिवर्तन की कहानी है, जहां परंपरा और नवाचार के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा है, जिसमें उपभोक्ता का ध्यान आकर्षित होता है। इसके केंद्र में लचीला किराना स्टोर, भरोसेमंद पड़ोस का हीरो है, जो अब चमकदार सुपरमार्केट, तकनीक-प्रेमी ई-कॉमर्स दिग्गजों और बिजली की गति से व्यापार में बाधा डालने वालों से मुकाबला कर रहा है। प्रत्येक खिलाड़ी अपनी अलग खूबी लेकर आता है- किराना भरोसे पर, सुपरमार्केट विविधता पर, ई-कॉमर्स सुविधा पर और त्वरित वाणिज्य गति पर फलता-फूलता है। मॉडलों का यह जीवंत टकराव केवल बाजार हिस्सेदारी के लिए लड़ाई नहीं है; यह भारत में खरीदारी के तरीके को नया रूप देने वाली क्रांति है। आइए देखें कि यह खुदरा नाटक कैसे सामने आता है और प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि सहयोग इसका भविष्य क्यों निर्धारित कर सकता है।

पुराने जमाने की किराना दुकान : एक समय था जब भारत की चहल-पहल भरी सड़कों पर, जहाँ गायें ऑटो और चाय की दुकानों के बगल में सुस्ती से सोती थीं, एक गुमनाम हीरो था: किराना स्टोर। विभिन्न नामों से जाने जाने वाले - 'पप्पू का जनरल स्टोर', 'रामू का किराना', या बस 'कोने की दुकान' - ये छोटी-छोटी दुकानें हर भारतीय मोहल्ले की धड़कन थीं।

'दोस्ताना किराना स्टोर' के मालिक रामू काका को सभी की पसंद दिल से पता थी। वे मुस्कुराते हुए कहते थे, "दो किलो आटा, एक पैकेट मसाला और अपना पसंदीदा बिस्किट मत भूलना।" लोग उन्हें प्यार करते थे। वे परिवार के सदस्य थे। क्रेडिट? कोई समस्या नहीं। आधी रात की आपात स्थिति? उनके दरवाजे पर दस्तक ही काफी थी।

आज की बात करें तो रामू काका के साम्राज्य को चमकदार सुपरमार्केट, तकनीक-प्रेमी ई-कॉमर्स दिग्गजों और तेजी से कारोबार में तेजी लाने वाली कंपनियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है।

यह सिर्फ़ एक कहानी नहीं है - यह एक क्रांति है। आइए इस कहानी के मर्म को जीवित रखते हुए इस परिवर्तन को और गहराई से समझें।

सुपरबाज़ारों पर आक्रमण : जीवन सरल था, लेकिन एक दिन एक नए प्रतियोगी ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया। यह चमकदार, विशाल था, और कुछ नया वादा करता था: शॉपिंग कार्ट का अनुभव। बिग बाज़ार और डीमार्ट जैसे सुपरमार्केट ने अपने विशाल दरवाज़े खोले, और विकल्पों की ऐसी गलियाँ पेश कीं, जो सबसे समझदार गृहिणी को भी चकित कर देती थीं।

"देखो माँ, यहाँ सिर्फ़ चॉकलेट के लिए एक पूरी शेल्फ है!" राहुल ने अपनी माँ को खींचकर ऐसी जगह ले गया जो मिठाई-प्रेमियों के लिए स्वर्ग जैसा था। परिवार इन यात्राओं को दिन भर की यात्रा के रूप में मानते थे, थोक किराने का सामान, डिटर्जेंट और कभी-कभी आवेग में आकर फ्राइंग पैन खरीदने वाली गाड़ियों को भर देते थे।

रामू काका को हालांकि कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने आत्मविश्वास से कहा, "उन्हें आने दो।" "लोगों को व्यक्तिगत स्पर्श पसंद है, न कि चमकदार फर्श।"

लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। 2020 तक, सुपरमार्केट ने खुदरा बाजार के 10% हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया था, खास तौर पर शहरों में। अकेले डी-मार्ट ने 30,000 करोड़ रुपये का राजस्व कमाया, और रामू काका को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा क्योंकि उनके कुछ नियमित ग्राहक गायब हो गए।

ई-कॉमर्स क्रांति में प्रवेश : जब सुपरमार्केट किराना स्टोर्स से जूझ रहे थे, तब तकनीक के जानकार एक हीरो ने चुपचाप कहानी में प्रवेश किया: ई-कॉमर्स। 'अमेज़न और फ्लिपकार्ट' जैसी दिग्गज कंपनियों के नेतृत्व में, यह नया खिलाड़ी सिर्फ़ किराने का सामान बेचना नहीं चाहता था; यह भारतीयों के खरीदारी के तरीके को पूरी तरह बदलना चाहता था।

घर से काम करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर रमेश ने पाया कि वह अपनी सुबह की कॉफी से लेकर अपनी नई ऑफिस कुर्सी

तक सब कुछ खरीद सकता है, बिना बाहर निकले। उसने सोचा, "जब फ्लिपकार्ट बैग घर पर ही लाकर दे रहा है तो बैग क्यों ढोना?"

ई-कॉमर्स के पास एक ऐसा लाभ था जो किसी और के पास नहीं था: सुविधा। छूट, डोरस्टेप डिलीवरी और अंतहीन विविधता का मतलब था कि उन्होंने जल्द ही बाजार के 15% हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया। महामारी के दौरान, प्लेटफ़ॉर्म की मांग में 60% की वृद्धि देखी गई, और रामू काका जैसे किराना स्टोर को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जियोमार्ट जैसे प्लेटफ़ॉर्म से हाथ मिलाना पड़ा।

क्विक कॉमर्स: 'पल भर में यह उपस्थित हो गया'

जैसे ही रामू काका को लगा कि तूफ़ान टल गया है, खुदरा व्यापार की दुनिया में बिजली गिरी। क्विक कॉमर्स में प्रवेश करें - एक ऐसा सिस्टम जो इतना तेज़ है कि यह चाय उबालने में लगने वाले समय में किराने का सामान डिलीवर कर सकता है।

ज़ेप्टो, ब्लिंकिट और स्विगी इंस्टामार्ट जैसे खिलाड़ियों ने शहरी मिलेनियल्स और जेन जेड को लक्षित किया। रात 10:30 बजे ब्रेड चाहिए? मक्खन पिघलने से पहले ही ब्लिंकिट आपके दरवाज़े पर था। वादा? 10 मिनट के भीतर डिलीवरी।

रेखा, एक युवा मार्केटिंग कार्यकारी, क्विक-कॉमर्स की दीवानी बन गई। "मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं अमेज़ॅन के लिए दो दिन इंतज़ार करती थी!" उसने हँसते हुए कहा क्योंकि उसका किराने का सामान रिकॉर्ड समय में आ गया था।

रामू काका के लिए, यह अब तक की सबसे कठिन चुनौती थी। क्विक कॉमर्स उनकी रोज़ी-रोटी की बिक्री को खा रहा था। वह ऐप और एल्गोरिदम से लैस मोटरसाइकिलों पर तेज़ी से घूमने वाले सवारों से कैसे मुकाबला कर सकता था?

भारत की एक समय की शांतिपूर्ण सड़कें, जहाँ किराना दुकानों का बोलबाला था, अब एक भयंकर युद्ध के मैदान में बदल गई हैं। खुदरा बाज़ार अब युद्ध का मैदान बन गया है, जहाँ हर खिलाड़ी दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। अब यह सिर्फ़ किराने का सामान बेचने के बारे में नहीं रह गया है - यह गति, पैमाने और अस्तित्व के बारे में है।

अनुभवी किराना दुकान के मालिक रामू काका इस सब के बीच में खड़े होकर अराजकता को देख रहे थे। उन्होंने रिश्तों और विश्वास के आधार पर अपना व्यवसाय खड़ा करने में दशकों बिताए थे। परिवार हर चीज के लिए उन पर निर्भर थे - दैनिक आवश्यक वस्तुओं से लेकर आपातकालीन आपूर्ति तक। अगर आपको ऋण की आवश्यकता होती, तो रामू काका कभी नहीं हिचकिचाते। लेकिन समय बदल रहा था, और यहां तक कि उनके वफादार ग्राहक भी अब नए जमाने के खुदरा व्यापार के चमकदार वादों से आकर्षित हो रहे थे।

आज, भारतीय खुदरा बाजार परंपरा और नवाचार का एक जीवंत मिश्रण है। रामू काका जैसे किराना स्टोर अभी भी बाजार

आइये एक नज़र में तुलना देखें

कार्य	यह क्यों काम करता है?	चुनौतियां	प्रभाव डेटा
एक्ट 1: किराना स्टोर्स का लचीलापन	पहुंच: 13 मिलियन स्टोर, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सुलभ। विश्वास और ऋण: अनौपचारिक ऋण परिवारों को सहारा देता है। लचीलापन: स्थानीय स्तर पर सोर्सिंग करके महामारी के दौरान जल्दी से अनुकूलित किया गया।	प्रौद्योगिकी का अभाव: आधुनिक उपकरणों को अपनाने में देरी। प्रतिस्पर्धा: संगठित खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में संघर्ष	भारत के 900 बिलियन डॉलर के खुदरा बाज़ार के 65% पर किराना दुकानों का नियंत्रण है

एक्ट 2: सुपरमार्केट का उदय	पैमाने की अर्थव्यवस्थाएँ: थोक छूट खरीदारों को आकर्षित करती हैं। विविधता: एक ही छत के नीचे ताज़ी उपज से लेकर आयातित सामान तक। आकांक्षी मूल्य: सुपरमार्केट में खरीदारी करना एक स्टेटस सिंबल बन गया है।	रियल एस्टेट की लागत: शहरी क्षेत्रों में उच्च व्यय।	सुपरमार्केट खुदरा बाजार का 10% हिस्सा रखते हैं। डीमार्ट ने 30,000 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल किया (वित्त वर्ष 2023, स्रोत: एनएसई)।
एक्ट 3: ई-कॉमर्स - गेम चेंजर	स्मार्टफोन का प्रसार: 800 मिलियन उपयोगकर्ताओं ने वृद्धि को बढ़ावा दिया। महामारी का प्रभाव: लॉकडाउन ने ऑनलाइन शॉपिंग को अनिवार्य बना दिया। ग्रामीण विस्तार: जियोमार्ट जैसे प्लेटफॉर्म ने अंतिम मील डिलीवरी के लिए किराना का लाभ उठाया।	डिलीवरी लागत: दूरदराज के क्षेत्रों में उच्च शिपिंग लागत। ग्राहक वफादारी: छूट के लिए बार-बार प्लेटफ़ॉर्म बदलना। याँ	ई-कॉमर्स अब भारत के खुदरा बाजार का 15% हिस्सा रखता है, जिसकी वार्षिक वृद्धि दर 20% से अधिक है (स्रोत: रेडसीर)।
एक्ट 4: त्वरित वाणिज्य - विघटनकारी	हाइपरलोकल नेटवर्क: गोदाम तेजी से डिलीवरी सुनिश्चित करते हैं। सुविधा: अंतिम समय की जरूरतों के लिए आदर्श। तकनीक-संचालित दक्षता: AI रसद को अनुकूलित करता है।	लाभप्रदता: डिलीवरी लागत अक्सर ऑर्डर मूल्य से अधिक होती है। स्थिरता: सवार की स्थिति और उत्सर्जन के बारे में चिंताएँ।	2023 में त्वरित वाणिज्य में 150% की वृद्धि हुई, जिसका मूल्य भारत में 1 बिलियन डॉलर से अधिक था।

के 65% हिस्से पर कब्जा करते हैं, लेकिन सुपरमार्केट, ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स के विकास से पता चलता है कि इस अरबों डॉलर के उद्योग में सभी के लिए जगह है।

जब रेखा ज़ेप्टो से दूध का ऑर्डर देती है, राहुल डीमार्ट की अपनी अगली यात्रा की योजना बनाता है, और रामू काका ऑर्डर लेने के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं, तो एक बात स्पष्ट है: भारतीय उपभोक्ता के पास विकल्पों की भरमार है। और परिवर्तन की इस कहानी में, एकमात्र निश्चितता यह है कि कहानी विकसित होती रहेगी।

इस अराजक प्रतिस्पर्धा के बीच, यह स्पष्ट हो गया कि कोई भी एक खिलाड़ी विविधतापूर्ण और जटिल भारतीय खुदरा बाजार पर हावी नहीं हो सकता। असली विजेता सहयोग था। Amazon जैसी ई-कॉमर्स दिग्गज कंपनियों ने किराना स्टोर की शक्ति को समझा और "आई हैव स्पेस" पहल जैसे कार्यक्रम शुरू किए, जहाँ किराना उनके अंतिम-मील डिलीवरी नेटवर्क का अभिन्न अंग बन गए। रिलायंस के जियोमार्ट ने एक कदम आगे बढ़कर किराना के पारंपरिक आकर्षण को आधुनिक लॉजिस्टिक्स की दक्षता के साथ मिश्रित किया। यहाँ तक कि किराना दुकान के मालिक रामू काका ने भी इस बदलाव को अपनाया। एक स्मार्टफोन और डंज़ो जैसे प्लेटफ़ॉर्म के साथ साझेदारी के साथ, उन्होंने उसी दिन डिलीवरी की पेशकश शुरू कर दी, जिससे वे अपने क्षेत्र में त्वरित कॉमर्स खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने लगे।

इस नए पारिस्थितिकी तंत्र में, प्रतिस्पर्धियों के बीच की सीमाएं धुंधली हो गईं, क्योंकि पारंपरिक और आधुनिक खुदरा मॉडल ने सह-अस्तित्व के तरीके खोज लिए। दिग्गजों के टकराव से कोई एक विजेता नहीं निकला, बल्कि विश्वास, प्रौद्योगिकी और सुविधा का सामंजस्यपूर्ण एकीकरण हुआ - जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए भारतीय खुदरा व्यापार को नया आकार दिया।

इस कहानी में आपका पसंदीदा किरदार कौन है? क्या आप रामू काका के प्रति वफादार हैं, या आपने ज़ेप्टो की गति को अपनाया है? अपनी खुदरा यात्रा साझा करें! हमारे साथ बने रहें। आपके मोहल्ले के रामू काका और बदलते बाजार की कहानी।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस : भविष्य की नई क्रांति

मोहन पंडित
सहायक प्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी)

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आज के दौर की सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति में से एक बन चुकी है। यह केवल विज्ञान-कथा की दुनिया तक सीमित नहीं रही, बल्कि हमारे दैनिक जीवन के हर क्षेत्र में अपनी गहरी छाप छोड़ रही है। स्मार्ट डिवाइसेज़, चिकित्सा, ऑटोमेशन, शिक्षा और सुरक्षा तक, AI का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यह तकनीक न केवल हमारे कार्यों को सरल बना रही है, बल्कि उत्पादकता और दक्षता को भी कई गुना बढ़ा रही है।

AI की नींव 1950 के दशक में रखी गई थी, लेकिन हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में अप्रत्याशित प्रगति हुई है। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स जैसी अत्याधुनिक तकनीकों ने AI को और अधिक सशक्त बना दिया है। आज AI आधारित चैटबॉट्स, वॉयस असिस्टेंट (जैसे सिरी, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट) और सेल्फ-ड्राइविंग कारें हमारे जीवन को अधिक स्मार्ट और सुविधाजनक बना रही हैं।

चिकित्सा क्षेत्र में AI ने क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। मेडिकल इमेजिंग, रोबोटिक सर्जरी, प्रारंभिक रोग निदान और टेलीमेडिसिन जैसी तकनीकों से रोगियों को बेहतर और त्वरित उपचार मिल रहा है। AI-आधारित एल्गोरिदम कैंसर और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों की शीघ्र पहचान करने में मदद कर रहे हैं, जिससे समय पर प्रभावी उपचार संभव हो पा रहा है।

शिक्षा के क्षेत्र में AI की भूमिका तेजी से बढ़ रही है। AI-आधारित लर्निंग प्लेटफॉर्म्स छात्रों को उनकी क्षमताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम और अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। हालांकि, AI के कारण पारंपरिक नौकरियों में कमी आने की संभावना भी बढ़ रही है। ऑटोमेशन से कई परंपरागत नौकरियों की मांग घट सकती है, लेकिन नए अवसर भी तेजी से उभर रहे हैं, जैसे कि डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और AI डेवलपमेंट।

साइबर सुरक्षा में AI एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। AI-आधारित सुरक्षा प्रणालियाँ साइबर हमलों और डेटा चोरी से बचाने में सक्षम हैं। बैंकिंग और वित्तीय सेक्टर में AI का उपयोग धोखाधड़ी की पहचान करने और जोखिम को कम करने के लिए किया जा रहा है।

जहाँ AI के असीमित लाभ हैं, वहीं इसके कुछ खतरे भी हैं। डेटा प्राइवेसी, नैतिकता और बेरोजगारी जैसी चुनौतियाँ हमारे सामने हैं। AI के नैतिक और जिम्मेदार उपयोग के लिए सरकारों और तकनीकी कंपनियों को मिलकर नीतियाँ और दिशानिर्देश तैयार करने होंगे ताकि इसके दुष्प्रभावों को कम किया जा सके।

भविष्य में AI का प्रभाव और भी व्यापक होने वाला है। स्मार्ट सिटीज़, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग और रोबोटिक्स में AI की भागीदारी बढ़ेगी। AI से जुड़े अनुसंधान और नवाचार लगातार जारी हैं, जिससे यह तकनीक और भी परिष्कृत होगी।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल एक तकनीक नहीं, बल्कि एक क्रांति है जो हमारे भविष्य को नया आकार दे रही है। यह न केवल हमारे जीवन को सुविधाजनक बना रही है, बल्कि नए अवसर भी उत्पन्न कर रही है। हालांकि, इसके सही उपयोग की ज़िम्मेदारी हम सभी पर है। यदि हम इसका नैतिक और सतत विकास सुनिश्चित करें, तो AI निश्चित रूप से मानवता के लिए वरदान साबित होगी।

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के अनुसार केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी में प्राप्त पत्रादि का उत्तर हिंदी में ही दिया जाना है।

हरित ऊर्जा : एक टिकाऊ भविष्य

सत्यवरपू श्री राम प्रशांत
उप प्रबंधक (लेखा और वित्त)

लेख में आगे बढ़ने से पहले, आइए निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें:

1. क्या हरित ऊर्जा सचमुच हमारे भविष्य के लिए टिकाऊ है?
2. क्या हम पूर्णतः हरित ऊर्जा की ओर परिवर्तित हो सकते हैं?
3. हरित ऊर्जा में वैश्विक अग्रणी, तथा भारत उनके बीच कहां खड़ा है
4. क्या भारत हरित ऊर्जा महाशक्ति बन सकता है?
5. वित्तीय व्यवहार्यता: क्या भारत हरित परिवर्तन को वहन कर सकता है?

ये सवाल आगे की जांच को जन्म दे सकते हैं। आइए हम मिलकर इन पर विचार करें।

- क्या हरित ऊर्जा सचमुच हमारे भविष्य के लिए टिकाऊ है?

दुनिया जलवायु परिवर्तन से जूझ रही है, ऐसे में हरित ऊर्जा उम्मीद की किरण बनकर उभर रही है। लेकिन क्या इसे वास्तव में टिकाऊ बनाता है?

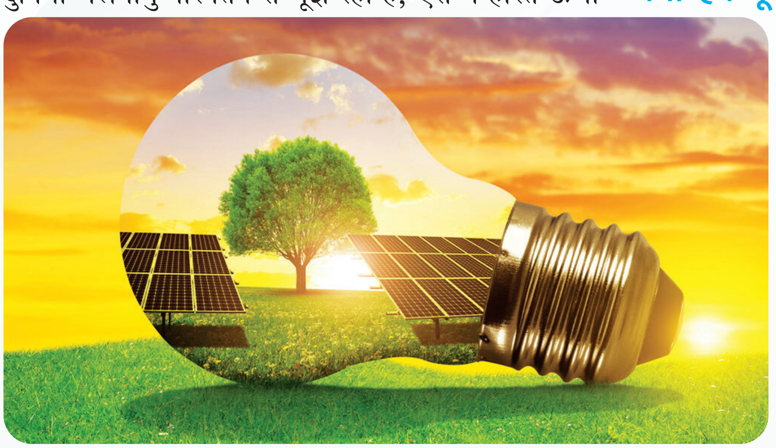

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत : सौर, पवन, जलविद्युत और भूतापीय - न्यूनतम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन करते हैं, जो सीधे जलवायु संबंधी चिंताओं को संबोधित करते हैं। जीवाश्म ईंधन के विपरीत, ये स्रोत प्राकृतिक रूप से पुनः भर दिए जाते हैं, जिससे सतत ऊर्जा आपूर्ति मिलती है।

नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश करने वाले देशों को अनेक लाभ मिल रहे हैं:

- उन्नत ऊर्जा स्वतंत्रता
- उभरते क्षेत्रों में रोजगार सृजन
- पारंपरिक ऊर्जा की तुलना में बढ़ती प्रतिस्पर्धी लागत

क्या आप जानते हैं? नवीनतम प्रौद्योगिकियों ने सौर और पवन ऊर्जा को पहले से कहीं अधिक किफायती बना दिया है, जो अक्सर कोयला या गैस ऊर्जा से भी सस्ती होती है।

क्या हम पूर्णतः हरित ऊर्जा की ओर परिवर्तित हो सकते हैं?

यह सवाल हर किसी के मन में है, इसका जवाब देने के लिए हमारे पास दो चेक प्वाइंट हैं

- **तकनीकी व्यवहार्यता:** अध्ययनों से संकेत मिलता है कि बिजली, ताप, परिवहन और विलवणीकरण जैसे सभी क्षेत्रों में 100% नवीकरणीय ऊर्जा की ओर वैश्विक बदलाव 2050 से पहले प्राप्त किया

जा सकता है। इस तरह के बदलाव से पर्याप्त ऊर्जा बचत, रोजगार सृजन और कम लागत वाली ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच हो सकती है।

- **आर्थिक लाभ:** सौर फोटोवोल्टिक्स और ऊर्जा भंडारण जैसी नवीकरणीय प्रौद्योगिकियों की घटती लागत, इस परिवर्तन को न केवल तकनीकी रूप से संभव बनाती है, बल्कि आर्थिक रूप से भी लाभकारी बनाती है।

हरित ऊर्जा में वैश्विक अग्रणी, तथा भारत उनके बीच कहां खड़ा है?

अधिकांश देश पारंपरिक ऊर्जा से हरित ऊर्जा में परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं, और रैंकिंग में विभिन्न मापदंड हैं जिनमें से पहला स्थापित क्षमता और दूसरा नवीकरणीय बिजली उत्पादन है

स्थापित क्षमता (2023)

- चीन लगभग 1,453 गीगावाट (GW) के साथ पहले स्थान पर है, तथा उसके बाद दूसरे स्थान पर है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका : 388 गीगावाट
- ब्राज़ील: 175 गीगावाट
- भारत: 115 गीगावाट
- जर्मनी: 113 गीगावाट

नवीकरणीय बिजली उत्पादन (2023)

- ब्राज़ील: इसकी 88.9% बिजली नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त होती है
- कनाडा: 66.5%
- चीन: 30.6%
- फ्रांस: 26.5%
- संयुक्त राज्य अमेरिका: 22.7%
- जापान: 22.7%
- भारत: 19.5%

ये आंकड़े 2023 में नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित बिजली के अनुपात को दर्शाते हैं।

ये रैंकिंग इस बात की जानकारी प्रदान करती है कि देश नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने में किस प्रकार प्रगति कर रहे हैं, क्षमता और बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी दोनों के संदर्भ में।

क्या भारत हरित ऊर्जा का महाशक्ति बन सकता है?

ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (टेरी) में माइक्रोबियल जैव ईंधन और जैव रसायन की एसोसिएट निदेशक संजुक्ता सुबुद्धि ने कहा कि भारत ने एआई की भागीदारी के साथ 2070 तक 100% नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने की योजना बनाई है। और भी भारत ने अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का विस्तार करने के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसका लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट (GW) तक पहुंचना है।

आइए SWOT के साथ विश्लेषण करें: ताकत (S), कमजोरियां (W), अवसर (O) और खतरे (T) इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत की क्षमता के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं।

ताकत: (S)

- अनुकूल भौगोलिक स्थिति के कारण भारत में प्रचुर मात्रा में सौर और पवन संसाधन मौजूद हैं
- मजबूत सरकारी पहल और सहायक नीतियां नवीकरणीय ऊर्जा विकास को बढ़ावा देती हैं

कमजोरियां: (W)

- नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की परिवर्तनशीलता को समायोजित करने के लिए महत्वपूर्ण ग्रिड उन्नयन की आवश्यकता वाली बुनियादी संरचना संबंधी चुनौतियाँ
- वित्तीय बाधाएं और अस्थिर सरकारी स्वामित्व वाली बिजली कंपनियां

अवसर: (O)

- ऊर्जा भंडारण और स्मार्ट ग्रिड में तकनीकी प्रगति
- आर्थिक विकास और रोजगार सृजन की संभावना

खतरे: (T)

- आज भी भारत में 70% बिजली उत्पादन कोयले पर निर्भर है

- वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला निर्भरता, विशेष रूप से चीन से

रणनीतिक निवेश और नीति सुधारों के माध्यम से इन कमजोरियों और खतरों का समाधान करना भारत के लिए अपने नवीकरणीय ऊर्जा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है।

वित्तीय व्यवहार्यता: क्या भारत हरित परिवर्तन को वहन कर सकता है?

शोध से पता चलता है कि भारत को 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 120 बिलियन से 140 बिलियन डॉलर के बीच वार्षिक निवेश की आवश्यकता है और 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन (नेट ज़ीरो इमिशन) प्राप्त करने के लिए अनुमानित संचयी निवेश 10.1 ट्रिलियन डॉलर है।

जबकि 2022 में भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र ने 13 बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश आकर्षित किया है, जो 2030 तक 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन बिजली के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वार्षिक आवश्यकताओं से कम है।

वित्तीय चुनौतियाँ:

- **वितरण कम्पनियाँ (डिस्कॉम):** कई सरकारी स्वामित्व वाली बिजली वितरण कम्पनियाँ वित्तीय संकट का सामना कर रही हैं, जिससे उनकी नवीकरणीय ऊर्जा खरीदने और अनुबंधों को पूरा करने की क्षमता प्रभावित हो रही है।
- **नियामक वातावरण:** नीति कार्यान्वयन और प्रवर्तन में अनिश्चितताओं के कारण अस्थिर नियामक ढांचा निवेशकों को हतोत्साहित कर सकता है।

वित्तीय पहल और सहायता:

- सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड: भारत ने हरित परियोजनाओं को समर्थन देने के लिए वित्तीय वर्ष 2023 में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से लगभग 2 बिलियन डॉलर जुटाए।
- अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण: विश्व बैंक ने भारत के निम्न-कार्बन परिवर्तन को समर्थन देने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर के वित्तपोषण को मंजूरी दी, जिसमें 2026 तक 6 बिलियन डॉलर के सॉवरेन ग्रीन बांड जारी करने के लिए नीतिगत कार्रवाई भी शामिल है।

निष्कर्ष:

भारत में हरित ऊर्जा में परिवर्तन के लिए वित्तीय चुनौतियां तो हैं, लेकिन निरंतर निवेश, नीतिगत सुधारों और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के साथ यह संभव है। सफलता की कुंजी वितरण कंपनियों की वित्तीय सेहत को संबोधित करने, विनियामक स्थिरता सुनिश्चित करने और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह के निवेशों को आकर्षित करने में निहित है।

संदर्भ स्रोत: एमडीपीआई, एपी न्यूज, ईएंडवाई, टीओआई, फाइनेंशियल टाइम्स आदि।

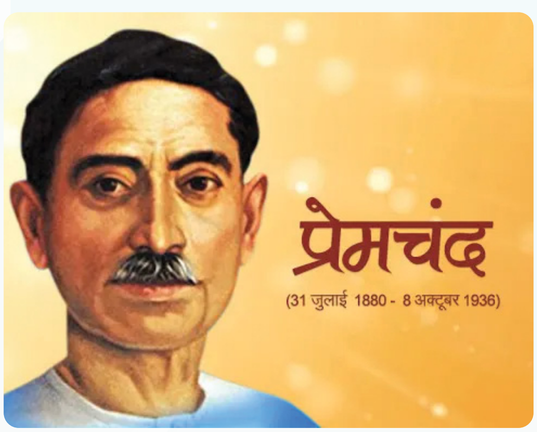

हिन्दी को जीवन की भाषा बनाओ
यह केवल बोलचाल की भाषा नहीं,
बल्कि विचारों की अभिव्यक्ति की भाषा है।

- मुंशी प्रेमचंद

विज्ञान के युग में समुद्र मंथन : एक पुनर्व्याख्या

सौरभ मुस्कान
वरिष्ठ प्रबंधक
(राजभाषा एवं मानव संसाधन)

आज जब हम चंद्रयान के युग में रह रहे हैं, जहां विज्ञान और तकनीक ने अभूतपूर्व प्रगति कर ली है, तब क्या यह बात प्रासंगिक लगती है कि चंद्रमा, कामधेनु, ऐरावत हाथी आदि समुद्र मंथन से निकले थे? यह प्रश्न स्वाभाविक है, क्योंकि वर्तमान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन पौराणिक कथाओं को समझना कठिन लगता है। फिर भी, अगर हम इन कथाओं को प्रतीकात्मक दृष्टि से देखें, तो वे आज के जीवन के लिए भी अत्यंत सारगर्भित हैं।

समुद्र मंथन के दौरान 14 रत्न निकले, जो क्रमवार इस प्रकार हैं:

हलाहल (विष), कामधेनु, उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्पवृक्ष, अप्सरा रंभा, देवी लक्ष्मी, वारूणी (मदिरा) चंद्रमा, पारिजात, पांचजन्य शंख, धन्वंतरि (अमृत कलश के साथ)

आधुनिक जीवन में इस कथा का आध्यात्मिक अर्थ समझना अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि हम अपने भीतर आत्मा को विशाल समुद्र मानें और अपने विचारों, इच्छाओं एवं भावनाओं का मंथन करें, तो ये सभी रत्न हमारी ही अंतरात्मा से प्रकट हो सकते हैं।

हलाहल या कालकूट विष/ निंदा और अपयश: जीवन की यात्रा का विष

वर्तमान युग में निंदा, अपयश और उपहास आम जीवन का अभिन्न अंग बन चुके हैं। सामाजिक एवं डिजिटल माध्यमों के प्रसार ने इन तत्वों को और भी प्रबल बना दिया है। किंतु यदि हम इन आलोचनाओं से विचलित होने के बजाय उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करने की शक्ति विकसित कर लें, तो न केवल हमारी मानसिक शांति बनी रहेगी, बल्कि यह हमारे आत्मविकास का भी मार्ग प्रशस्त करेगा।

जीवन की यात्रा में हमें अनेक बार कटु आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। यह निंदा कभी हमारे कार्यों को लेकर होती है, तो कभी हमारे विचारों को लेकर। किंतु यदि हम इसे हालाहल विष मानकर धैर्यपूर्वक पीने की क्षमता विकसित कर लें, तो यही विष अमृत में परिवर्तित हो सकता है। महापुरुषों का जीवन इस सत्य का प्रमाण है-चाहे वह राम हों, कृष्ण हों, बुद्ध हों या गांधी, सभी को निंदा और अपयश का सामना करना पड़ा, परंतु वे अडिग रहे और इतिहास में अमर हो गए।

इस डिजिटल युग में, विशेष रूप से सोशल मीडिया ने निंदा को और अधिक तीव्र कर दिया है। अतः हमें इसकी उपेक्षा कर अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना चाहिए। जब हम आलोचनाओं से निर्लिप्त होकर आगे बढ़ने का कौशल सीख लेते हैं, तब समझना चाहिए कि हमारी वास्तविक जीवन यात्रा आरंभ हो गई है।

कामधेनु/ निंदा रूपी विष से जन्मी प्रतिभा : समाज में निंदा और अपयश का विष पी लेने वाला व्यक्ति वास्तव में आत्मसंयम और धैर्य की परीक्षा उत्तीर्ण करता है। यह सहनशक्ति उसे एक अनमोल रत्न प्रदान करती है- प्रतिभा। प्रतिभासंपन्न व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखकर समाज के कल्याण और उत्थान हेतु कार्य करता है, ठीक वैसे ही जैसे "कामधेनु" अपने अमृतमय दुग्ध से सबका पोषण करती है। विपरीत परिस्थितियों में तपकर ही व्यक्ति की प्रतिभा निखरती है और वह समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनता है। अतः निंदा को सहन करना केवल एक परीक्षा नहीं, बल्कि आत्मविकास और समाजोत्थान का मार्ग भी है।

उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा/ दृढ़ संकल्प और तीव्र गति :

जब प्रतिभा जागृत होती है और हम समाज कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित कर देते हैं, तो हमारा संकल्प सशक्त होकर गतिशील हो जाता है। यह अडिग निष्ठा और अपराजेय ऊर्जा ही हमें लक्ष्य तक पहुँचाती है। उच्चैःश्रवा घोड़ा इसी दृढ़ संकल्प और तीव्र गति का प्रतीक है, जो हर बाधा को पार कर विजय की ओर अग्रसर होता है।

ऐरावत हाथी : जब हमारा संकल्प समाज कल्याण की दिशा में आगे बढ़ता है, तो हमें सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। यह सम्मान हमारे निःस्वार्थ कर्मों और दृढ़ संकल्प का परिणाम होता है। हालांकि, सफलता के मार्ग पर ईर्ष्यालु लोग आलोचना और निंदा से हमें हतोत्साहित करने का प्रयास करते हैं, परंतु सच्चा कर्मयोगी इनसे अप्रभावित रहता है।

"हाथी चले बाजार, कुत्ता भोंके हजार" की कहावत इसी सत्य को व्यक्त करती है कि महान लक्ष्य के पथिक को अवरोधों की परवाह किए बिना आगे बढ़ते रहना चाहिए। समाज में यही सम्मान और गौरव ऐरावत हाथी का प्रतीक है, जो अपनी विराटता और गरिमा के साथ निरंतर आगे बढ़ता है, बिना किसी आलोचना की परवाह किए।

कौस्तुभ मणि/ निस्वार्थ कर्म और कौस्तुभ का प्रकाश

जब हम अपने संकल्पों को समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालकर निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं, तो हमारा व्यक्तित्व तेजस्वी हो उठता है। यह उज्ज्वल आभा हमारे निष्कलंक कर्मों और समाज के प्रति समर्पण का परिणाम होती है। ऐसा दिव्य व्यक्तित्व ही कौस्तुभ मणि का प्रतीक है, जिसे श्रीहरि विष्णु के मुकुट में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। यह मणि दर्शाती है कि निःस्वार्थ सेवा और दृढ़ संकल्प से व्यक्ति समाज में अमर कीर्ति प्राप्त करता है।

कल्पवृक्ष : निस्वार्थ कर्म रूपी कौस्तुभ मणि के प्रभाव से जब लोग हमारी कार्यशैली को स्वीकार करने लगते हैं और सम्मान देते हैं, तो हमारी इच्छा शक्ति इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि हमारे द्वारा सोचे गए अच्छे विचार स्वतः ही साकार होने लगते हैं। यही अवस्था कल्पवृक्ष के समान है, जहां इच्छाएं बिना किसी प्रयास के पूर्ण होती हैं। यह सिद्धि केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो अपने कर्मों में सत्य, निष्ठा और परोपकार को स्थान देते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि सम्पूर्ण समाज के लिए एक मार्गदर्शक बन जाता है।

रंभा (अप्सरा) : इस स्तर पर व्यक्ति के जीवन में ऐश्वर्य, प्रसिद्धि और सफलता आ जाती है। इस समय मन में अहंकार, लोभ और इच्छाओं का जाल फैल सकता है। यह मोह-माया अप्सरा रंभा का प्रतीक है, जो व्यक्ति की परीक्षा लेती है। यदि वह इस आकर्षण में फँस जाता है, तो उसका पतन निश्चित है। किंतु जो आत्मसंयम और विवेक से इस परीक्षा में सफल होता है, वही अपने उच्च उद्देश्य की ओर अग्रसर हो सकता है। यही आत्मनियंत्रण उसे सच्ची सफलता की ओर ले जाता है।

देवी लक्ष्मी : जब व्यक्ति वासना और लालच जैसी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, तब उसे सच्ची समृद्धि का वरदान मिलता है। यह समृद्धि केवल भौतिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी होती है। देवी लक्ष्मी इसी शुभता, वैभव और आत्मिक संतोष की प्रतीक हैं, जो सत्य और सद्कर्म से प्राप्त होती हैं।

वारुणी : धन-संपत्ति के साथ अक्सर अभिमान और मद का प्रवेश होता है। यह अभिमान ही वारुणी के प्रतीक रूप में सामने आता है। यदि व्यक्ति इस मद में डूब जाता है, तो उसका पतन निश्चित है। लेकिन जो विवेक और आत्मसंयम बनाए रखते हुए अहंकार से बचता है, वही अपनी महानता को बनाए रख सकता है। सच्ची समृद्धि केवल धन में नहीं, बल्कि विनम्रता और सद्गुणों में होती है। इसलिए विवेकपूर्वक आचरण ही व्यक्ति को वास्तविक सफलता दिलाता है।

चंद्रमा : जब व्यक्ति धन के मद को नियंत्रित कर लेता है, तब उसके व्यवहार में सौम्यता और शीतलता आ जाती है। यह संतुलित व्यक्तित्व चंद्रमा का प्रतीक है, जो शांति, धैर्य और विवेक का प्रकाश फैलाता है। ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति समाज में सुकून और प्रेरणा का स्रोत बन जाती है, जिससे उसका प्रभाव चिरस्थायी रहता है।

पारिजात : चंद्रमा रूपी शीतलता के प्रभाव से व्यक्ति के कार्यों की सुगंध समाज में फैलने लगती है। यह सुगंध पारिजात पुष्प का प्रतीक है, जो अपने सौंदर्य और माधुर्य से सभी को आकर्षित करता है। ऐसा व्यक्तित्व समाज में आदर और प्रेरणा का केंद्र बन जाता है।

पांचजन्य शंख : जब व्यक्ति की ख्याति उसके श्रेष्ठ कार्यों के कारण चारों दिशाओं में फैलने लगती है, तब उसकी कीर्ति का उद्घोष समाज में गूंजने लगता है। यही उद्घोष पांचजन्य शंख का प्रतीक है, जो सत्य, धर्म और परोपकार के संदेश को दूर तक प्रसारित करता है, जिससे समूचा समाज प्रेरित होता है।

धन्वंतरि (अमृत कलश के साथ)/ निःस्वार्थ सेवा और अमृत का स्वरुप

जब व्यक्ति अपनी समस्त इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेता है और निःस्वार्थ भाव से समाज सेवा में संलग्न हो जाता है, तब उसका जीवन अमृत के समान बन जाता है। उसके विचार, कर्म और व्यक्तित्व से हर कोई लाभान्वित होता है। यही स्थिति धन्वंतरि और अमृत कलश का प्रतीक है, जो कल्याण, आरोग्य और शुभता का संदेश देता है। ऐसा व्यक्ति समाज में ज्ञान, सद्भाव और सेवा की धारा प्रवाहित करता है, जिससे उसका जीवन सच्ची महानता को प्राप्त करता है।

समुद्र मंथन की पौराणिक कथा केवल देव-दानव संघर्ष की गाथा नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझाने का प्रभावशाली प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि धैर्य, तप और संतुलित विचारधारा से विष को भी अमृत में बदला जा सकता है। यदि हम इसके प्रतीकात्मक अर्थ को समझकर अपने जीवन में अपनाएं, तो यह न केवल हमारी आत्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगा, बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक होगा। यही सच्ची सफलता और समृद्धि का रहस्य है।

समय प्रबंधन मनोविज्ञान: कार्य प्रदर्शन को अनुकूलित कैसे करें

डॉ. प्रियंका कुमारी
सहायक प्राध्यापक
मनोवैज्ञानिक शोध एवं सेवा संस्थान
पत्नी: श्री सौरभ
व. प्र. (रा.भा. एवं मा.सं.)

समय सबसे मूल्यवान संसाधनों में से एक है, लेकिन इसे प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना कई लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। खराब समय प्रबंधन से तनाव, थकावट और उत्पादकता में गिरावट आती है, जबकि समय प्रबंधन की कुशलता से कार्यक्षमता, मानसिक शांति और समग्र प्रदर्शन में सुधार होता है।

समय प्रबंधन केवल कार्यों को शेड्यूल करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा मस्तिष्क समय को कैसे देखता है, प्रेरणा हमें कैसे प्रभावित करती है, और आत्म-अनुशासन हमारे कार्यों को कैसे नियंत्रित करता है।

1. योजना भ्रम (Planning Fallacy) : मनोवैज्ञानिक डेनियल काह्नमैन और एमोस टवर्स्की ने प्लानिंग फॉलसी की पहचान की, जिसमें लोग कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक समय को कम आंकते हैं। इससे अंतिम समय में तनाव बढ़ जाता है।

समाधान: समय का सही अनुमान लगाने के लिए कार्यों को छोटे भागों में विभाजित करें और समय ट्रैकिंग का उपयोग करें।

2. पार्किंसन का नियम (Parkinson's Law) :

पार्किंसन का नियम कहता है कि "कोई भी कार्य उतने समय में पूरा होता है जितना समय उसे दिया जाता है।" यदि किसी कार्य के लिए एक सप्ताह दिया जाए, तो हम इसे पूरा करने में पूरे सप्ताह लगा देते हैं, भले ही यह दो दिनों में पूरा हो सकता हो।

समाधान: छोटे और सख्त समय-सीमाएं तय करें और टाइमबॉक्सिंग तकनीक अपनाएं।

3. पोमोडोरो तकनीक (Pomodoro Technique) :

इस तकनीक में 25 मिनट तक पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर कार्य किया जाता है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लिया जाता है। इससे ध्यान केंद्रित रहता है और मानसिक थकान कम होती है।

समाधान: कार्य को छोटे समय अंतराल में विभाजित करें और बीच-बीच में ब्रेक लें।

4. निर्णय थकान (Decision Fatigue) :

दिन भर में कई निर्णय लेने से मानसिक ऊर्जा खत्म होती है, जिससे कार्य टालने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है।

समाधान: रूटीन बनाएं और कार्यों को पहले से प्राथमिकता दें ताकि निर्णय लेने की जरूरत कम हो।

5. ज़िगार्निक प्रभाव (Zeigarnik Effect) :

इस प्रभाव के अनुसार अधूरे कार्य हमारे दिमाग में लंबे समय तक बने रहते हैं और मानसिक तनाव बढ़ाते हैं।

समाधान: किसी भी कार्य की शुरुआत जल्दी करें, भले ही वह छोटी हो, ताकि मानसिक बोझ कम हो।

प्रभावी समय प्रबंधन के लिए मनोवैज्ञानिक रणनीतियाँ

1. आइजनहावर मैट्रिक्स (Eisenhower Matrix) से प्राथमिकता तय करें :

यह मैट्रिक्स कार्यों को चार भागों में विभाजित करता है:

- जरूरी और तात्कालिक: तुरंत करें।
- जरूरी लेकिन गैर-तात्कालिक: शेड्यूल करें।
- तात्कालिक लेकिन गैर-जरूरी: किसी और को सौंपें।
- न तो तात्कालिक, न ही जरूरी: हटा दें।

इससे महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है।

2. 80/20 नियम (Pareto Principle) :

पारेतो सिद्धांत के अनुसार 80% परिणाम केवल 20% प्रयासों से आते हैं।

समाधान: उन कार्यों की पहचान करें जो अधिकतम परिणाम देते हैं और पहले उन्हें पूरा करें।

3. डीप वर्क (Deep Work) के लिए टाइम ब्लॉकिंग डीप वर्क वह तकनीक है जिसमें पूरी तरह ध्यान केंद्रित करके कार्य किया जाता है।

समाधान: बिना किसी बाधा के उच्च-एकाग्रता वाले कार्यों के लिए समय निर्धारित करें।

4. हैबिट स्टैकिंग (Habit Stacking) :

हैबिट स्टैकिंग एक नई आदत को पहले से मौजूद आदत के साथ जोड़ने की तकनीक है।

उदाहरण: "सुबह की चाय के बाद, मैं अपने दिन के सबसे महत्वपूर्ण कार्य की योजना बनाऊंगा।"

5. दो-मिनट नियम (Two-Minute Rule) :

यदि कोई कार्य दो मिनट से कम समय में पूरा किया जा सकता है, तो उसे तुरंत कर दें।

समय प्रबंधन में आम मनोवैज्ञानिक बाधाएँ और समाधान

1. कार्य टालना (Procrastination) :

टालमटोल की प्रवृत्ति अक्सर असफलता के डर, पूर्णतावाद, या

प्रेरणा की कमी के कारण होती है।

समाधान: 5-सेकंड नियम अपनाएं-पांच सेकंड तक उलटी गिनती करें और तुरंत कार्य शुरू करें।

2. मल्टीटास्किंग का मिथक (Multitasking Myth) :

शोध से पता चला है कि मल्टीटास्किंग से उत्पादकता 40% तक कम हो जाती है।

समाधान: सिंगल-टास्किंग अपनाएं—एक समय में केवल एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करें।

3. प्रेरणा की कमी (Lack of Motivation) :

प्रेरणा हमेशा स्थिर नहीं रहती, जिससे अनुशासन बनाए रखना कठिन हो जाता है।

समाधान:

आंतरिक प्रेरणा (Intrinsic Motivation): कार्य को अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और लक्ष्यों से जोड़ें।

बाहरी प्रेरणा (Extrinsic Motivation): छोटे लक्ष्यों की प्राप्ति पर स्वयं को पुरस्कृत करें।

समय प्रबंधन केवल अधिक मेहनत करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह समझदारी से काम करने के बारे में है। यदि हम अपने समय की धारणा, ध्यान और प्रेरणा को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों को समझें, तो हम प्रभावी रणनीतियाँ विकसित कर सकते हैं। आइजनहावर मैट्रिक्स, पोमोडोरो तकनीक और डीप वर्क जैसी विधियाँ अपनाने से हम अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं, तनाव को कम कर सकते हैं, और एक संतुलित तथा सफल जीवन जी सकते हैं।

वर्ष 2024 में विभिन्न हिन्दी पाठ्यक्रमों में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने वाले कर्मचारी

प्राज्ञ

क्र. सं.	अनुक्रमांक	नाम एवं पदनाम
1	06708	श्री तापस चंद्रा, वरिष्ठ लेखा सहायक
2	06709	श्री बिश्वरूप मुखर्जी, वरिष्ठ लेखा सहायक
3	06710	श्री सुदीप बसु, वरिष्ठ सहायक (ई आर पी)
4	06711	श्री सुरजित बेपारी, प्रबंधक (वाणिज्यिक)
5	06712	श्री बरुन कान्ति दास, महाप्रबंधक (सूचना प्रद्योगिकी)
6	06713	श्री विश्वजीत कर, वरिष्ठ सहायक (वाणिज्यिक)
7	06715	श्री अभिषेक मोदक, उप प्रबंधक (वाणिज्यिक)
8	06849	श्री आनंद कुरी, वरिष्ठ लेखा सहायक
9	06944	सुवजीत पॉल, वरिष्ठ प्रबंधक (वाणिज्यिक)

पारंगत

क्र. सं.	अनुक्रमांक	नाम एवं पदनाम
1	07789	श्री बरुन कान्ति दास, महाप्रबंधक (सूचना प्रद्योगिकी)
2	07815	श्री सुरजित बेपारी, प्रबंधक (वाणिज्यिक)
3	07817	सुवजीत पॉल, वरिष्ठ प्रबंधक (वाणिज्यिक)
4	07818	श्री अभिषेक मोदक, उप प्रबंधक (वाणिज्यिक)
5	07819	श्री आनंद कुरी, वरिष्ठ लेखा सहायक
6	07820	श्रीमती राखी कर, कम्पनी सचिव
7	07821	श्री तरुण कुमार दत्ता, लेख अधिकारी
8	07876	श्री सुबीर कुमार दास, वरिष्ठ कर्मचारी
9	07877	श्री आदित्य राज, सहायक प्रबंधक
10	09468	श्री खेमचंद माली, उप प्रबंधक (सूचना प्रद्योगिकी)
11	09469	श्री मोहन पंडित, सहायक प्रबंधक (सूचना प्रद्योगिकी)
12	09654	श्री शिब प्रसाद घोष, प्रबंधक
13	09761	श्री सुनील कुमार जाटव, सहायक प्रबंधक (अभिकल्प)

प्रवीण

क्र. सं.	अनुक्रमांक	नाम एवं पदनाम
1	02983	श्री मिलन कुमार बेहरा उप प्रबंधक (अभिकल्प)
2	02984	सुश्री श्रुति सिंहमहापात्र सहायक प्रबंधक (अभिकल्प)
3	02986	श्री नासिर होसेन उप प्रबंधक (अभिकल्प)
4	02988	श्री विजयकृष्णन वी उप प्रबंधक (अभिकल्प)
5	03431	श्री मधुसूदन मुखर्जी वरिष्ठ लेखा सहायक
6	03432	श्री सजल कुमार पाल वरिष्ठ लेखा सहायक
7	03434	श्री अंजन कुमार चंद्रा वरिष्ठ लेखा सहायक
8	03435	श्री सुदीप अधिकारी वरिष्ठ लेखा सहायक
9	03436	श्री देबकुमार पुरकैत वरिष्ठ लेखा सहायक
10	03437	श्री सुदिप्ता बोस वरिष्ठ लेखा सहायक

हिन्दी के प्रयोग के लिए वार्षिक कार्यक्रम एवं लक्ष्य

राजभाषा विभाग द्वारा प्रति वर्ष केंद्र सरकार के कार्यान्वयन के लिए राजभाषा हिन्दी के प्रसार और प्रगामी प्रयोग हेतु वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है। हिन्दी बोले जाने और लिखे जाने के आधार पर देश के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तीन क्षेत्रों में चिन्हित किया गया है। इन तीन क्षेत्रों यथा 'क', 'ख' और 'ग' का विवरण निम्नानुसार है :

क्षेत्र	क्षेत्र में शामिल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
क	बिहार, छतिशगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र।
ख	गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमन व दीव और दादरा व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र।
ग	'क' और 'ख' क्षेत्र में शामिल नहीं किए गए सभी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र।

क्रम सं.	कार्य का विवरण	क क्षेत्र	ख क्षेत्र	ग क्षेत्र
1	हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)	1. क क्षेत्र से क क्षेत्र को 100% 2. क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 100% 3. क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 65% 4. क क्षेत्र से क व ख के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति 100%	1. ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 90% 2. ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 90% 3. ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4. ख क्षेत्र से क व ख के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति 90%	1. ग क्षेत्र से क क्षेत्र को 55% 2. ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 55% 3. ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4. ग क्षेत्र से क व ख के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति 55 %
2	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
3	हिन्दी में टिप्पण	75%	50%	30%
4	हिन्दी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	70%	60%	30%
5	हिन्दी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%
6	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%
7	हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करने की सुविधायुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जिनमें कंप्यूटर भी शामिल है, की खरीद	100%	100%	100%
8	वेबसाईट द्विभाषिक हो	100%	100%	100%
9	मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)	25% (न्यूनतम)
10	राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक	प्रति तिमाही 1 बैठक		

राजभाषा प्रोत्साहन योजना

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना की परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने पर केंद्रीय सरकार के पात्र कर्मचारियों को मिलने वाले वित्तीय प्रोत्साहन (वैयक्तिक वेतन, नकद पुरस्कार, एकमुश्त पुरस्कार आदि)

हिंदी शिक्षण योजना के अधीन प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ तथा पारंगत पाठ्यक्रम परीक्षा उत्तीर्ण करने पर देय प्रोत्साहन नकद पुरस्कार राशि। राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय भारत सरकार ने हिंदी में कार्यशधक ज्ञान कराने हेतु प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ पाठ्यक्रम की शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत पत्रताओं के आधार पर कर्मचारीयों का प्रशिक्षण कराया जाता है। इस पाठ्यक्रम का आयोजन वर्ष में दो सत्रों में किया जाता है जनवरी से मई तथा जून से नवम्बर। कार्मिकों को कार्यालयीन कार्य हिंदी में करने में दक्ष बनाने के उद्देश्य से पारंगत पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई है।

पाठ्यक्रम की संरचना एवं अवधि

• ये पाठ्यक्रम प्रतिवर्ष दो सत्रों में आयोजित किए जाते हैं:

- **पहला सत्र:** जनवरी से मई।
- **दूसरा सत्र:** जून से नवंबर।
- कक्षाएं सप्ताह में दो दिन आयोजित होती हैं, और इनकी संख्या एवं स्थान का निर्धारण केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा किया जाता है।
- पाठ्यक्रम के समापन पर परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर नकद प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

प्रोत्साहन योजना के उद्देश्य

- कर्मचारियों को कार्यालयीन हिंदी में कार्य करने हेतु प्रशिक्षित व प्रेरित करना।
- राजभाषा नीति के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करना।
- हिंदी में कार्यकुशलता को बढ़ावा देना।

प्रोत्साहन राशि

पाठ्यक्रम की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रोत्साहन राशि इस प्रकार है:

पाठ्यक्रम	70% या अधिक अंक	60% से 70% के बीच अंक	55% से 60% के बीच अंक
प्रबोध	₹1,600	₹800	₹400
प्रवीण	₹1,800	₹1,200	₹600
प्राज्ञ	₹2,400	₹1,600	₹800
पारंगत	₹10,000	₹7,000	₹4,000

वेतन लाभ : निर्धारित अंतिम परीक्षा (प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ) उत्तीर्ण करने पर वैयक्तिक वेतन का भी प्रावधान है जो परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात एक वर्ष की अवधि तक दिया जाता है।

राजपत्रित कर्मचारी:

प्रवीण परीक्षा में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर।

प्राज्ञ परीक्षा में केवल उत्तीर्ण होने पर।

अराजपत्रित कर्मचारी:

- प्रबोध एवं प्रवीण परीक्षा में 55% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर।
- प्राज्ञ परीक्षा में केवल उत्तीर्ण होने पर।

अनुपालन एवं संचालन

- योजना का संचालन केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार होता है।
- कक्षाओं का आयोजन और पाठ्यक्रम संरचना राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित होती है।

यह योजना हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार को प्रोत्साहित करने, कर्मचारियों की कार्यकुशलता को बढ़ाने, और राजभाषा नीति को प्रभावी रूप से लागू करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। हिंदी में दक्षता अर्जित करने पर प्रदान की जाने वाली प्रोत्साहन राशि कर्मचारियों को प्रेरित करती है और हिंदी भाषा को कार्यालयीन कार्यों में सशक्त बनाती है।

राजभाषा संबंधी प्रश्नोत्तरी

1. पहला विश्व हिन्दी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया?
2. हिन्दी को राजभाषा के रूप में कौन-से संविधान-संशोधन द्वारा मान्यता मिली?
3. 1964 में किस हिंदी प्रचार सभा को 'राष्ट्रीय महत्व की संस्था' घोषित किया गया?
4. हिंदी भाषा के पहले समाचार पत्र का नाम क्या था?-
5. देश में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्ज दिया जा चुका है?
6. भारत सरकार के समस्त कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए नीतिगत फैसले किसके द्वारा लिए जाते हैं?
7. विश्व हिन्दी सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है?
8. राजभाषा हिन्दी से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है?
9. लिपि देवनागरी और हिन्दी का भिप्राय क्या है?
10. किसी भाषा को राजभाषा घोषित करने संबंधित नियम क्या है?
11. देश में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया जा चुका है?
12. हिन्दी का वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली का विकास कौन करता है?
13. केंद्र सरकार के अधीन कितने कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग अनिवार्य है?
14. भारत में हिन्दी कितने प्रतिशत लोगों द्वारा बोली जाती है (लगभग)?
15. भारत सरकार का कौन-सा विभाग राजभाषा नीति का क्रियान्वयन करता है?
16. राजभाषा नियमों की समीक्षा हेतु कौन-सी समिति गठित होती है?-
17. हिन्दी को राजभाषा कब घोषित किया गया?

उत्तर

1. नागपुर
2. 7वां संविधान-संशोधन
3. दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा
4. उदंत मार्तंड
5. हिन्दी भाषा के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा को संघ की राजभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है।
6. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार।
7. भारत सरकार के विदेश मन्त्रालय द्वारा
8. अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी
9. संघ सरकार की राजभाषा हिन्दी और लिपि (लिखने) के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाए।
10. भारत के संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार केवल हिन्दी संघ की राजभाषा है। किसी अन्य भाषा को संघ की राजभाषा घोषित करने संबंधित कोई मानदंड निर्धारित नही है।
11. हिन्दी भाषा के अतिरिक्त अन्य किसी भाषा को संघ की राजभाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है।
12. वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार।
13. सभी
14. 43.6%, 2011 की जनगणना के अनुसार, 52.83 करोड़ लोग।
15. राजभाषा विभाग
16. संसदीय राजभाषा समिति (राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 के तहत)
17. 14 सितंबर 1949

कार्यालयीन शब्द

Amendment	संशोधन	Seminar	संगोष्ठी
Forward	अग्रेषित	Resignation	त्यागपत्र
Verification	सत्यापन	Probation	परिवीक्षा
Review	पुनरीक्षण	Implementation	कार्यान्वयन
Advance	पेशगी/अग्रिम	Draft	प्रारूप/मसौदा
for approval	अनुमोदनार्थ	For perusal	अवलोकनार्थ
Sanctioned	स्वीकृत	Approved and sanctioned	अनुमोदित एवं स्वीकृत
Concurred	सहमत	Proposed	प्रस्तावित
General Provident Fund	सामान्य भविष्य निधि	Concession	रियायत
Personnel	कार्मिक	Tour	दौरा
As Per Rule	यथा नियम	Monthly Instalment	मासिक किस्त
Basic Pay	मूल वेतन	Legal Proceedings	विधिक कार्यवाही
Seminar	संगोष्ठी	Honorary	मानदेय
Declaration	घोषणा	Prescribed	निर्धारित
Discretion	विवेकाधिकार	Incentives	प्रोत्साहन
Valuation	आकलन/मूल्यांकन	Integrity	सत्यनिष्ठा
Office Premises	कार्यालय परिसर	Offence	अपराध
Registration	पंजीकरण	Unauthorized	अनधिकृत
Dependent	आश्रित	Competent Authority/officer	सक्षम अधिकारी
Reimbursement	प्रत्यारोपण	Training	प्रशिक्षण
Explanation	स्पष्टीकरण	Tour Program	दौरा कार्यक्रम
Sealed	मुहरबंद	Bidder	बोली कर्ता
Up to date	अद्यतन	Agreement	करार
Terms and Conditions	नियम एवं शर्तें	Accounts Officer	लेखा अधिकारी
Counter signature	प्रतिहस्ताक्षर	Under signed	अधोहस्ताक्षरी
Agreement	अनुबंध	Welfare Schemes	कल्याणकारी योजनाएं
Gratuity	उपदान	Service Period	सेवाकाल
Disciplinary action	अनुशासनात्मक कार्रवाई	Public Information Officer	लोक सूचना अधिकारी
Prior permission	पूर्वानुमाती	Post facto sanction	कार्योत्तर मंजूरी
Compensate	प्रतिपूर्ति	Prescribed time limit	समय सीमा

प्रमुख टिप्पणियाँ/आम प्रयोग के पदबंध

Accordingly it has been decided	तदनुसार यह निर्णय लिया गया	Action may be taken as proposed	यथाप्रस्तावित कार्रवाई की जाए
Administrative approval may be obtained	प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जाए	Bill has been scrutinised and found in order	बिल की जांच की गई और सही पाया गया
Contravenes the provisions of --	के उपबंधों का उल्लंघन करता है	Draft as amended is put up	यथा संशोधित मसौदा प्रस्तुत है
Deemed to suspend	निलंबित समझ जाए	Is adjourned sine die	अनिश्चित काल के लिए स्थगित
Inter-alia	अन्य बातों के साथ-साथ	Have been directed to inform you /request you	मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपको सूचित करूं/आपसे निवेदां करूं
Please comply before due date	कृपया नियत समय से पहले इसका पालन किया जाए	Essential article may be purchased locally	आवश्यक चीजें स्थानीय स्तर पर खरीद लें
Competent authority's sanction is necessary	सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी आवश्यक है	Please treat it as most urgent	कृपया इसे अत्यंत आवश्यक समझें
Copy enclosed for ready reference	तत्काल संदर्भ के लिए प्रतिलिपि संलग्न है	Against public interest	लोकहित के विरुद्ध
Your request can not be acceded to	आपका अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता	Please discuss with relevant papers	संगत कागज-पत्रों के साथ चर्चा करें
Put up for verification	सत्यापन के लिए प्रस्तुत करें	To the best of knowledge and belief	जानकारी एवं विश्वास के अनुसार
Reminder may be sent	अनुस्मारक/स्मरण पत्र भेज जाए	For further action	अगली/आगे की कार्रवाई के लिए

राजभाषा प्रतिज्ञा

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 और 351 तथा राजभाषा संकल्प 1968 के आलोक में हम, केंद्र सरकार के कार्मिक यह प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने उदाहरणमय नेतृत्व और निरंतर निगरानी से; अपनी प्रतिबद्धता और प्रयासों से; प्रशिक्षण और प्राइज़ से अपने साथियो में राजभाषा प्रेम की ज्योति जलाये रखेंगे, उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे; अपने अधीनस्थ के हितों का ध्यान रखते हुए; अपने प्रबंधन को और अधिक कुशल और प्रभावशाली बनाते हुए राजभाषा हिंदी का प्रयोग, प्रचार और प्रसार बढ़ाएंगे। हम राजभाषा के संवर्धन के प्रति सदैव ऊर्जावान और निरंतर प्रयासरत रहेंगे।

जय राजभाषा! जय हिंदी!

हिन्दी पखवाड़ा 2024 के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेता

सामान्य हिन्दी ज्ञान प्रतियोगिता

हिन्दी भाषी वर्ग

क्र. सं.	नाम	पदनाम	स्थान
1	खेमचंद माली	प्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी)	प्रथम
2	राहुल कुमार	उप प्रबंधक (वाणिज्यिक)	द्वितीय
3	अभिषेक मोदक	उप प्रबंधक (वाणिज्यिक)	तृतीय

हिन्दीतर भाषी वर्ग:

क्र. सं.	नाम	पदनाम	स्थान
1	पारिजात भट्टाचार्य	वरिष्ठ प्रबंधक (समन्वय)	प्रथम
2	बिपलब पॉल	उप प्रबंधक (वाणिज्यिक)	द्वितीय
3	अनिर्बन दास	उप प्रबंधक (वाणिज्यिक)	तृतीय

निबंध लेखन प्रतियोगिता

हिन्दी भाषी वर्ग:

क्र. सं.	नाम	पदनाम	स्थान
1	रिशिता चौधरी	उप प्रबंधक (वाणिज्यिक)	प्रथम
2	मोहन पंडित	सहायक प्रबंधक (सूचना प्रबंधक)	द्वितीय
3	अरविंद कुमार चौधरी	वरिष्ठ प्रबंधक	तृतीय

हिन्दीतर भाषी वर्ग:

क्र. सं.	नाम	पदनाम	स्थान
1	कुणाल बैद्य	प्रबंधक (आंतरिक लेखापरीक्षा)	प्रथम
2	यशशवी घोष	उप प्रबंधक (गुणवत्ता नियंत्रण)	द्वितीय
3	अभिरूप मैत्र	सहायक प्रबंधक (ई आर पी)	तृतीय

शब्द निर्माण प्रतियोगिता

हिन्दी भाषी वर्ग

क्र. सं.	नाम	पदनाम	स्थान
1	श्वेतांशु	उप प्रबंधक (कॉर्पोरेट योजना)	प्रथम
2	अमिताभ भारद्वाज	सहायक प्रबंधक	द्वितीय
3	रवि मेहता	वरिष्ठ प्रबंधक	तृतीय

हिन्दीतर भाषी वर्ग:

क्र. सं.	नाम	पदनाम	स्थान
1	पंपा हालदार	सहायक महाप्रबंधक (विपणन) सिविल-नॉर्थ	प्रथम
2	तरुण कुमार दत्ता	लेखा अधिकारी	द्वितीय
3	गुरु तिलक कोले	वरिष्ठ सहायक (मानव संसाधन)	तृतीय

पत्र व टिप्पण लेखन प्रतियोगिता

हिन्दी भाषी वर्ग:

क्र. सं.	नाम	पदनाम	स्थान
1	राहुल	वरिष्ठ प्रबंधक (कॉर्पोरेट योजना)	प्रथम
2	आदित्य राज	सहायक प्रबंधक (कॉर्पोरेट योजना)	द्वितीय
3	पप्पू कुमार रंजन	उप प्रबंधक	तृतीय

हिन्दीतर भाषी वर्ग

क्र. सं.	नाम	पदनाम	स्थान
1	तरुण सामन्त	वरिष्ठ प्रबंधक (कॉर्पोरेट योजना)	प्रथम
2	इंद्रजीत मित्रा	अधिकारी (लेखा)	द्वितीय
3	सुबीर कुमार दास	वरिष्ठ सहायक (परिसंपती प्रबंधन)	तृतीय

चित्राभिव्यक्ति प्रतियोगिता

हिन्दी भाषी वर्ग:

क्र. सं.	नाम	पदनाम	स्थान
1	विशाल	प्रबंधक (आंतरिक लेखापरीक्षा)	प्रथम
2	राखी कर	कंपनी सचिव	द्वितीय
3	रमेश झा	उप प्रबंधक	तृतीय

हिन्दीतर भाषी वर्ग:

क्र. सं.	नाम	पदनाम	स्थान
1	आनंद कुरी	वरिष्ठ सहायक (लेखा)	प्रथम
2	गुरु तिलक कोले	वरिष्ठ सहायक (मानव संसाधन)	द्वितीय
3	तरुण कुमार दत्ता	लेखा अधिकारी	तृतीय

अधिनियम प्रतियोगिता

प्रतियोगिता के विजेता

हिन्दी भाषी वर्ग:

क्र. सं.	नाम	पदनाम	स्थान
1	गौरव गर्ग	वरिष्ठ प्रबंधक (समन्वय)	प्रथम
2	दीपक तंतुवाय	वरिष्ठ प्रबंधक (वाणिज्यिक)	द्वितीय
3	सजल कुमार पाल	वरिष्ठ सहायक (लेखा)	तृतीय

हिन्दीतर भाषी वर्ग:

क्र. सं.	नाम	पदनाम	स्थान
1	सुदीप अधीकारी	वरिष्ठ सहायक (लेखा)	प्रथम
2	अपुरबमोय मिश्र	लेखा अधिकारी	द्वितीय
3	मधुसूदन मुखर्जी	वरिष्ठ सहायक (लेखा)	तृतीय

पारिभाषिक शब्दावली प्रतियोगिता

हिन्दी भाषी वर्ग

क्र. सं.	नाम	पदनाम	स्थान
1	राजीव कुमार	उप प्रबंधक (वाणिज्यिक)	प्रथम
2	प्राची तिवारी	सहायक महाप्रबंधक (लेखा)	द्वितीय
3	ब्रजेश कुमार झा	उप महाप्रबंधक (समन्वय) रायपुर	तृतीय

हिन्दीतर भाषी वर्ग:

क्र. सं.	नाम	पदनाम	स्थान
1	सुपांकर मिस्त्री	सहायक प्रबंधक(वाणिज्यिक)	प्रथम
2	अंजन कुमार चंद्रा	वरिष्ठ सहायक (लेखा)	द्वितीय
3	देबकुमार पुरकाइत	वरिष्ठ सहायक (लेखा)	तृतीय

श्री दीपक तंतुवाय, वरिष्ठ प्रबंधक (वाणिज्यिक-III) द्वारा बनाई गई पेंटिंग

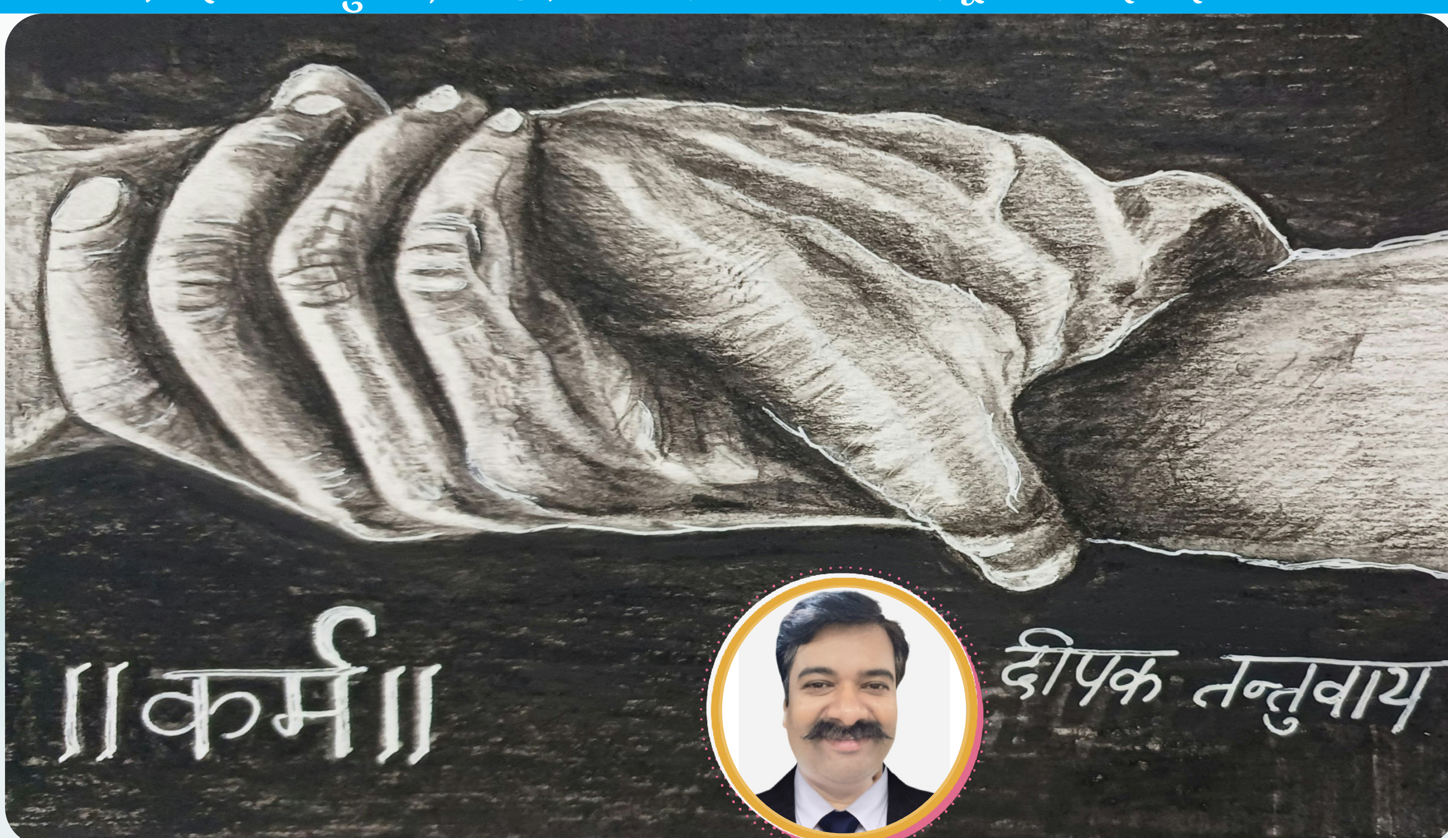

सेवानिवृत होने वाले कर्मचारी (अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 तक)

नाम	पदनाम	से	तक
श्री सिद्धार्थ दास गुप्ता	प्रबंधक (कल्याण सेवाएँ)	01 अगस्त 1989	30 अप्रैल 2024
श्री उत्पल बनर्जी	श्री उत्पल बनर्जी	01 जनवरी 2008	30 अप्रैल 2024
श्री प्रबीर कुमार बंद्योपाध्याय	वरिष्ठ प्रबंधक	01 जनवरी 1998	30 अप्रैल 2024
श्री जयदीप राय	उप महाप्रबंधक (प्रशासन एवं औद्योगिक संबंध)/मानव संसाधन	01 अप्रैल 1991	30 अप्रैल 2024
श्री आर कंडासामी	वरिष्ठ कार्यालय सहायक	01 जून 2006	30 अप्रैल 2024
श्री अनुप कुमार माली	वरिष्ठ भंडार सहायक	01 जून 2006	30 अप्रैल 2024
श्री देबाशीष बोस	वरिष्ठ सहायक (मानव संसाधन)	01 जुलाई 2006	30 अप्रैल 2024
श्री आशुतोष मण्डल	ग्रुप लीडर	01 अगस्त 1990	30 अप्रैल 2024
श्री शक्ति नाथ सामंत	मार्कर	02 मई 1989	30 अप्रैल 2024
श्री अंजन कुमार सिन्हा	उप प्रबंधक (तकनीकी)	01 अगस्त 1998	31 मई 2024
श्री जिबानन्द पंडित	सहायक महाप्रबंधक (वाणिज्यिक)-II	01 सितमबर 1991	31 मई 2024
श्री रत्नाकर बेहरा	बिजली मिस्त्री	01 अप्रैल 2013	31 मई 2024
श्री राम चंद्र पारित	हेवी ड्यूटी क्रेन ऑपरेटर	10 अप्रैल 2013	31 मई 2024
श्री राजेंद्र सिंह रावत	आशु सचिव	01 अगस्त 1998	30 जून 2024
श्री सी.एस.वी.एस प्रसाद राव	वरिष्ठ कार्यालय सहायक	01 अगस्त 2006	30 जून 2024
श्री बोम्मली आनंद राव	प्रबंधक	01 जनवरी, 2008	31 जुलाई 2024
श्री अमिया कुमार मजुमदार	वरिष्ठ सहायक (लेखा)	09 नवबर, 2005	31 जुलाई 2024
श्री समीर कुमार अत्ता	सहायक	01 अप्रैल 1987	31 जुलाई 2024
श्री प्रशांत घोष	फिटर	01 अप्रैल 1995	31 जुलाई 2024
श्री उदय सिंह	एक्सकैवेटर चालक	17 अप्रैल 2013	31 जुलाई 2024
श्री संजय चक्रवर्ती	सहायक महाप्रबंधक (सिविल) पूर्व - हल्दिया	01 अप्रैल 1991	31 अगस्त 2024
श्री वेदुला रवितेजा	वरिष्ठ भंडार सहायक	13 ऑक्टोबर 2003	31 अगस्त 2024
श्री मनोजीत कुंडू	वरिष्ठ लेखा सहायक	27 अप्रैल 2005	31 अगस्त 2024

नाम	पदनाम	से	तक
श्री भारत किशोर मोदी	वरिष्ठ पर्यवेक्षक	06 अगस्त 2005	31 अगस्त 2024
श्री सुकुमार हाजरा	फिटर	01 अप्रैल 2006	31 अगस्त 2024
श्री मलय दे	उप महाप्रबंधक (विशेष परियोजनाएँ) यांत्रिक - एनटीपीसी रामागुंडम	01 अगस्त 1989	30 सितंबर 2024
श्री सत्येन्द्र शुक्ला	उप महा प्रबंधक (लेखा) वर्क्स	25 मई 1991	30 सितंबर 2024
श्री देबासिस मुखोपाध्याय	महाप्रबंधक (वाणिज्यिक)	14 अप्रैल 1995	30 सितंबर 2024
श्री शिबाजी बाग	वरिष्ठ लेखा सहायक	18 मई 2005	30 सितंबर 2024
श्री निवास बागची	फिटर	07 ऑक्टोबर 1986	30 सितंबर 2024
श्री अशोक कुमार बर्मन	मशीन सहायक	01 जनवरी 1996	30 सितंबर 2024
श्री मोनोज कुमार पॉल	उत्खनन ऑपरेटर	05 अप्रैल 2013	30 सितंबर 2024
श्री अमर देबनाथ	सहायक महाप्रबंधक (वाणिज्यिक) III	01 अगस्त 1989	31 अक्टूबर 2024
श्री जॉय मुखोपाध्याय	सहायक महाप्रबंधक (परियोजनाएँ) कोच्चि	01 जुलाई 1991	31 अक्टूबर 2024
श्री निताई सरकार	वरिष्ठ भंडार सहायक	01 जुलाई 2006	31 अक्टूबर 2024
श्री गौतम भादुरी	वरिष्ठ पर्यवेक्षक	03 नवंबर 2006	31 अक्टूबर 2024
श्री अभिजीत दास	सहायक महाप्रबंधक (वाणिज्यिक एवं मानव संसाधन) नुमालीगढ़	01 जून 1991	30 नवंबर 2024
श्री कुश कुमार सामंत	वरिष्ठ भंडार सहायक	09 मार्च 2005	30 नवंबर 2024
श्री तरूण कुमार प्रमाणिक	वरिष्ठ लेखा सहायक	03 फ़रवरी 2005	30 नवंबर 2024
श्री प्रदीप सरकार	सहायक महाप्रबंधक (परियोजनाएं) पारादीप	08 जुलाई 1996	31 दिसंबर 2024
श्री अभिजीत राय	महाप्रबंधक (मानव संसाधन)	01 जून 1993	31 दिसंबर 2024
श्री सलिल बिश्वास	वरिष्ठ सहायक (लेखा)	04 जनवरी 2004	31 दिसंबर 2024
श्री सुभाष दास	वरिष्ठ पर्यवेक्षक	08 ऑक्टोबर 2005	31 दिसंबर 2024
श्री दीपल कुमार बोदक	वरिष्ठ भंडार सहायक	13 अगस्त 2003	31 दिसंबर 2024

ब्रिज एण्ड रुफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड, सेवानिवृत कार्मिकों द्वारा उनके उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उनका आभार प्रकट करता है तथा उनके स्वस्थ, सुखद, आरामदायक एवं उज्जवल सेवानिवृत्त जीवन की कामना करता है।

ब्रिज एण्ड रुफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), कोलकाता द्वारा सम्मान

ब्रिज एण्ड रुफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड, जो भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन एक प्रतिष्ठित मिनिरत्न श्रेणी-I सार्वजनिक उपक्रम है, को राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार और प्रभावी कार्यान्वयन एवं उसके उल्लेखनीय प्रयासों के लिए वर्ष 2024-25 का "सक्रिय सहभागिता पुरस्कार" प्रदान किया गया।

यह सम्मान नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), कोलकाता द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान प्रदान किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में श्री राजेश श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव (नीति), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नराकास (उपक्रम), कोलकाता के अध्यक्ष एवं कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक (कार्मिक एवं औद्योगिक संबंध) डॉ. विनय रंजन ने की।

ब्रिज एण्ड रुफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड की ओर से यह पुरस्कार कम्पनी के निदेशक (वित्त) श्री नवरत्न गुप्ता ने प्राप्त किया। उनके साथ वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा एवं मानव संसाधन) श्री सौरभ मुस्कान भी उपस्थित रहे।

तथा तत्वावधान में आयोजित विभिन्न राजभाषा प्रतियोगिताओं में कंपनी के हिंदी एवं हिन्दीतर भाषी कर्मचारियों ने पूरे उत्साह और सक्रियता के साथ भाग लिया। इस सराहनीय सहभागिता के फलस्वरूप कर्मचारियों को कुल पाँच पुरस्कार प्राप्त हुए।

अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, दिल्ली, क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन, गुवाहाटी एवं नराकास की बैठक में ब्रिज एण्ड रूफ के कार्मिकों की सहभागिता

कार्यालय में हिन्दी संगोष्ठी एवं हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन

नराकास (उपक्रम), कोलकाता के तत्वावधान में ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड द्वारा सभी सदस्य कार्यालयों के लिए हिन्दी शॉर्ट फिल्म निर्माण प्रतिगिता का आयोजन किया गया

कार्यालय में हिन्दी पखवाड़ा 2024 की झलकियाँ

कार्यालय की अन्य गतिविधियां

Bridge And Roof has been awarded at the 3rd edition of the 'PSU Transformation Conclave and Awards 2024' for its Outstanding Contribution to National Development.

TECHNIP ENERGIES

Certificate of Appreciation

Recognition for 5 Million Safe Man Hours to Develop a Safety culture

This certificate is presented to

M/s Bridge and Roof Co. (I) Ltd.

On completion of five Million Safe Man Hours during Execution of "CIVIL,STRUCTURAL & UNDERGROUND PIPING WORKS FOR INTERCONNECTING PIPE RACK" for "PETROCHEMICAL AND LUBE INTEGRATION PROJECT "LUPECH" (J18) AT IOCL GUJARAT REFINERY, VADODARA,INDIA",VIDE FOA NO:RHQCC/2021-22/FOA/166 DATED-24.02.2022 without Loss Time Injury (LTI) during the period from 24.02.2022 to 20.08.2024.

Date : 04/10/2024

Kuldeep Sharma.
Resident Construction Manager
Technip Energies
LUPECH J18 Project
IOCL,Gujarat Refinery, Vadodara.

राष्ट्र निर्माण में उत्कृष्टता के 106 वर्ष

बी एण्ड आर
B AND R
Building Nation Since 1920

ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड

BRIDGE AND ROOF COMPANY (INDIA) LIMITED

(भारत सरकार का एक उद्यम/ A Government of India Enterprise)

कॉर्पोरेट कार्यालय : कंकड़िया सेंटर, 5वीं मंजिल, 2/1 रसल स्ट्रीट, कोलकाता-700071

(सीआईएन : U27310WB1920GOI003601)

(91 (33) 22172108 ‖ bridge@bridgeroof.co.in ‖ संपर्क एवं सुझाव : bnr.rajbhasha@bridgeroof.co.in

bridgeroof.co.in /bandr1920 @bridgeroof @bridgeroof /bridge-and-roof @bridgeroofco.ltd.289